मध्यप्रदेश शासन

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

मंत्रालय

संशोधित अधिसूचना

भोपाल दिनांक 25/9/2024

मध्यप्रदेश में मौसम खरीफ वर्ष 2024 में प्राइस सपोर्ट स्कीम अन्तर्गत फसल सोयाबीन उपज का प्रदेश के जिलों में समर्थन मूल्य में कृषकों द्वारा उत्पादित उपज का उचित दर प्राप्त करने हेतु मध्यप्रदेश शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है।

मध्यप्रदेश के जिलों में प्राइस सपोर्ट स्कीम योजना अन्तर्गत खरीफ वर्ष 2024 मौसम के लिये संलग्न सूची अनुसार फसल सोयाबीन का संशोधित वार्षिक कैलेन्डर परिभाषित घोषित किया जाता है:-

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(एम. सेलवेन्द्रन)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

पृ.क्र. AGRI/19/0015/2024/14-2/335396/1381 भोपाल, दिनांक 25/9/2024

प्रतिलिपि:-

1- विशेष सहायक, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन भोपाल।

2- विशेष सहायक, माननीय मंत्री किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग भोपाल की ओर सूचनार्थ।

3- विशेष सहायक, माननीय राज्यमंत्री किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग भोपाल की ओर सूचनार्थ।

4- सचिव भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन नई दिल्ली की ओर सूचनार्थ।

5- अपर मुख्य सचिव सह कृषि उत्पादन आयुक्त मंत्रालय म.प्र. भोपाल।

6- अपर मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग भोपाल।

7- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन भोपाल की ओर सूचनार्थ।

8- प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल।

9- प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल।

10- प्रमुख सचिव, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग भोपाल।

11- प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग भोपाल।

12- प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, समन्वय मुख्य सचिव कार्यालय, भोपाल।

13- प्रमुख सचिव,मध्य प्रदेश शासन, जनसंपर्क विभाग, भोपाल की ओर योजना के प्रचार-प्रसार हेतु प्रेषित।

14- प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग भोपाल।

15- सचिव मुख्यमंत्री सचिवालय भोपाल।

16- कुलपति जवाहरलाल नेहरु कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर।

17- कुलपति, राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर।

18- आयुक्त सह पंजीयक, मध्य प्रदेश भोपाल।

19- आयुक्त भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त ग्वालियर मध्य प्रदेश।

20- आयुक्त (संस्थागत वित्त) मध्य प्रदेश भोपाल।

21- संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास , संचालनालय, भोपाल।

22- आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय भोपाल।

23- समस्त संभागायुक्त, म.प्र.।

24- संचालक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग भोपाल को उपरोक्त अनुक्रम में आवश्यक कार्यवाहियों हेतु प्रेषित

25- प्रबंध संचालक,म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल।

26- प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य कृषि विपणन संघ, भोपाल।

27- प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य नागरिक आपूर्ति निगम,भोपाल।

28- प्रबंध संचालक, म.प्र. वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन, भोपाल।

29- समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, भोपाल।

30- एस.आई.ओं (राष्ट्रीय सूचना केन्द्र-एन.आई.सी.) भोपाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अंकित।

31- समस्त संयुक्त संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास संभाग कार्यालय।

32- समस्त उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला कार्यालय।

33- समस्त परियोजना संचालक, आत्मा, किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला कार्यालय की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

सचिव
मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

मध्यप्रदेश में खरीफ वर्ष 2024 के लिये प्राइस सपोर्ट स्कीम योजना अन्तर्गत निम्नाकित फसलों की बुवाई, कटाई एवं खरीदी के लिये संशोधित वार्षिक कैलेन्डर की सूची:-

क्र.	फसल का नाम	बोआई का समय	कटाई का समय	सर्वाधिक मण्डी में आवक समय	प्रस्तावित खरीदी समय (पी.एस.एस.)
1	सोयाबीन	जून अंतिम सप्ताह से जुलाई तक	सितम्बर अंत से अक्टूबर माह तक	अक्टूबर से दिसम्बर तक	25-10-2024 से 31-12-2024 तक

(एम. सेलवेन्द्रन)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक AGRI/19/0015/2024/14-2/335396 भोपाल, दिनांक 25/9/24
1379

प्रति,

समस्त कलेक्टर्स
मध्यप्रदेश।

विषय :- खरीफ 2024 (विपणन वर्ष 2024-25) में समर्थन मूल्य पर सोयाबीन की उपार्जन नीति।

खरीफ 2024 (विपणन वर्ष 2024-25) में सोयाबीन का भारत शासन द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर प्रदेश में उपार्जन कार्य किये जाने हेतु किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मध्यप्रदेश शासन मंत्रालय, भोपाल की उपार्जन नीति निम्नानुसार है:-

1. पृष्ठभूमि:

भारत सरकार द्वारा खरीफ 2024 (विपणन वर्ष 2024-25) के लिये औसत, अच्छी गुणवत्ता (FAQ) तिलहन फसलों के लिये घोषित समर्थन मूल्य का लाभ भारत शासन DEPARTMENT OF AGRICULTURE, AND FARMER WELFARE द्वारा जारी AMENDED GUIDELINES FOR PRICE SUPPORT SCHEME (PSS) (PULSES AND OIL SEEDS) UNDER PM-AASHA के प्रावधान अनुसार प्रदेश के कृषकों को उनकी उपज का उचित मूल्य प्रदान करने हेतु तिलहन फसलों का उपार्जन कार्य शासन द्वारा नियत पंजीयन नीति एवं प्रक्रिया के द्वारा सत्यापित पंजीकृत कृषकों एवं रकवे से अनुमानित आंकलित मात्रा का उपार्जन कार्य किया जाना, ताकि प्रदेश में तिलहन फसलों के उत्पादन में वृद्धि की जा सके।

2. उपार्जन की जाने वाली फसलें एवं जिले:-

भारत सरकार द्वारा खरीफ 2024 (विपणन वर्ष 2024-25) के लिए औसत अच्छी गुणवत्ता (FAQ) के सोयाबीन का समर्थन मूल्य रू. 4892 प्रति क्विंटल घोषित किया गया है।

क्र.	फसल	राष्ट्रीय एजेंसी का नाम	उपार्जन हेतु संभाग/ जिले
1	सोयाबीन	नाफेड	भोपाल, जबलपुर, उज्जैन, ग्वालियर एवं चंबल संभाग के जिले।
		एन.सी.सी.एफ.	इंदौर, नर्मदापुरम, सागर, रीवा एवं शहडोल संभाग के जिले।

2.1. भारत शासन द्वारा निर्धारित FAQ मापदंड संबंधी निर्देश राज्य उपार्जन एजेन्सी द्वारा जारी किए जाएगें।

3. पंजीयन अवधि:- मध्यप्रदेश शासन किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग का पत्र क्रमांक 1353 भोपाल दिनांक 24.09.2024 द्वारा जारी निर्देशानुसार सोयाबीन के उपार्जन हेतु किसान पंजीयन की अवधि 25 सितम्बर 2024 से 20 अक्टूबर 2024 तक नियत की गई।

3.1. मध्यप्रदेश शासन खाद्य नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता संरक्षण मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक 21/06/2257889/2024/29-1 भोपाल दिनांक 03.09.2024 के माध्यम से खरीफ 2024 (विपणन वर्ष 2024-25) में समर्थन मूल्य पर धान, ज्वार एवं बाजरा उपार्जन हेतु किसान पंजीयन प्रकिया संबंधी दिशा

निर्देश जारी किए गए है । धान पंजीयन हेतु जारी दिशा निर्देश के अनुरूप खाद्य विभाग के पोर्टल पर ही सोयाबीन के कृषको का पंजीयन किया गया ।

3.2. रबी वर्ष 2023-24 में चना, मसूर एवं सरसों के उपार्जन की भांति सोयाबीन में भी स्लॉट बुकिंग की व्यवस्था रहेगी ।

4. उपार्जन अवधि:-

सोयाबीन का उपार्जन दिनांक 25 अक्टूबर 2024 से 31 दिसम्बर 2024 तक की अवधि में किया जाएगा ।

उपार्जन केन्द्र पर उपार्जन गतिविधियों के अनुरूप साप्ताहिक कार्य दिवसो का विभाजन :-

4.1. उपार्जन केन्द्र पर नियत उपार्जन एजेन्सी द्वारा उपार्जन कार्य सप्ताह में पांच दिवस (सोमवार से शुक्रवार) प्रात: 8:00 बजे से शाम 8:00 बजे तक उपार्जन कार्य किया जाएगा।

4.2. उपार्जन केन्द्र पर कृषक तौल पर्ची सांय 6:00 बजे तक जारी की जाएगी ताकि गुणवत्ता परीक्षण दिन के उजाले में किया जाकर अंतिम कृषक की तौल शाम 8:00 बजे तक पूर्ण की जा सके।

4.3. उपार्जन कार्य नियत दिवसों में एवं नियत समयावधि अनुसार किया जाना सुनिश्चित कराया जाए।

4.4. जिन कृषकों की उपज की तौल अपरिहार्य कारणों से सोमवार से शुक्रवार तक नहीं हो सकी तो ऐसी दशा में उनकी तौल शनिवार को की जा सकेगी।

4.5. शनिवार एवं रविवार को प्रति सप्ताह उपार्जन केन्द्र पर शेष स्कंध का परिवहन, कृषकों से तौल किए गए स्कंध का उपार्जन केन्द्र पर सुरक्षित व्यवस्थित भंडारण, लेखामिलान तथा अस्वीकृत स्कंध का अपग्रेडेशन कार्य किया जाकर निराकरण किया जाएगा ।

4.6. गोदाम स्तरीय उपार्जन केन्द्र पर गुणवत्ता परीक्षण में NON FAQ पाए जाने वाले स्कंध का भंडारण उपार्जन समिति द्वारा गोदाम/ केप पर नहीं किया जाएगा ।

4.7. बे-मौसम बारिश आदि की विशेष परिस्थिति उत्पन्न होने की दशा में गोदाम स्तरीय केन्द्र पर NON FAQ स्कंध का भंडारण पांच दिवस की अवधि हेतु किया जा सकेगा। नियत अवधि में उपार्जन समिति से ऐसे स्कंध का अपग्रेडेशन आवश्यक रूप से कराया जाए । नियत अवधि में अपग्रेडेशन कार्य नहीं कराये जाने की स्थिति में उपार्जन केन्द्र की समिति को भंडारण शुल्क नियमानुसार भंडारण एजेन्सी की दर से जमा कराया जाना होगा ।

5. उपार्जन कार्य हेतु राज्य उपार्जन एजेन्सी का निर्धारण एवं उनके दायित्व :-

5.1. मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित (MARKFED) प्रदेश के समस्त संभाग के समस्त जिलों में समर्थन मूल्य पर उपार्जन कार्य हेतु राज्य उपार्जन एजेन्सी होगी।

5.2. भारत शासन को लेखा एवं दावे प्रस्तुत करने तथा द्वितीय संव्यवहार की व्यवस्था हेतु नोडल राज्य व्यापार एजेन्सी म.प्र. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित (MARKFED), लेखा संबंधी दावे प्रस्तुत करने की ऑटोमेटिक व्यवस्था है।

5.3. राज्य उपार्जन एजेन्सी MARKFED द्वारा उपार्जित जिन्स के परिवहन होने की दशा में परिवहन हेतु समय पर निविदाएं आमंत्रित कर परिवहन दरें निर्धारण की कार्यवाही की जाएगी। अपरिहार्य कारणों से निविदा में दरें प्राप्त नहीं होने की दशा में अथवा आंमत्रित निविदा में परिवहन की दरें अधिक प्राप्त होने पर वैकल्पिक

व्यवस्था के तहत MARKFED/MPSCSC की यथा स्थिति गतवर्ष की गेहूं/धान/ दलहन-तिलहन एवं बारदाना की स्वीकृत परिवहन दरों पर परिवहन कार्य कराया जा सकेगा। इस हेतु समुचित कार्यवाही MARKFED द्वारा की जाएगी।

5.4. राज्य उपार्जन एजेन्सी MARKFED द्वारा उपार्जन मात्रा के आंकलन अनुरूप नेफेड कोलकाता /अन्य जूट मिलर्स के माध्यम से उपार्जन कार्य हेतु बारदाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।

5.5. राज्य उपार्जन एजेन्सी MARKFED द्वारा उपार्जन केन्द्र की उपार्जन समिति को कमीशन का भुगतान खरीदी कार्य समाप्ति उपरांत सम्पूर्ण लेखा मिलान होने के पश्चात राष्ट्रीय एजेन्सी द्वारा नियत दर से FAQ स्वीकृत जमा मात्रा पर नियत प्रक्रिया अनुरूप भुगतान किया जाएगा।

5.6. राज्य उपार्जन एजेन्सी MARKFED द्वारा कमीशन मद में गोदाम/ केप स्तरीय उपार्जन केन्द्रों में राशि का भुगतान खरीफ 2024 में MPSCSC द्वारा धान उपार्जन अंतर्गत जारी निर्देशों के अनुसार देय राशि के समान ही नेफेड से राशि प्राप्त होने के अनुरूप भुगतान किया जाएगा। गोदाम स्तरीय उपार्जन केन्द्र पर गोदाम संचालक को उसके दायित्वों के निर्वहन करने के अनुरूप भुगतान किया जा सकेगा।

5.7. राज्य उपार्जन एजेन्सी MARKFED द्वारा प्रसांगिक व्यय का भुगतान भारत सरकार/ राज्य शासन द्वारा निर्धारित मापदंड अनुसार JIT के माध्यम से खरीदी प्रक्रिया के दौरान तदर्थ दर से भुगतान उपार्जन समिति को किया जाएगा। प्रसांगिक व्यय मद में शेष राशि का भुगतान उपार्जन केन्द्र का लेखा मिलान उपरांत JIT में प्रावधान न होने पर ऑफ लाईन भुगतान उपार्जन समिति को राष्ट्रीय एजेन्सी द्वारा मान्य की गई दर से किया जाएगा।

5.8. राज्य उपार्जन एजेन्सी द्वारा कमीशन एवं प्रसांगिक व्यय का निर्धारित दर से अंतिम भुगतान उपार्जन केन्द्र की उपार्जन समिति द्वारा वास्तविक भुगतान के प्रमाणक व उपरोक्त मदों की पृथक-पृथक अंकेक्षित देयक प्रस्तुत करने पर तदर्थ भुगतान के समायोजन पश्चात शुद्ध देय राशि का भुगतान राष्ट्रीय एजेन्सी नेफेड/एन.सी.सी.एफ. से अंतिम भुगतान प्राप्त होने पर किया जाएगा।

5.9. उपार्जन केन्द्र की उपार्जन समिति/ संस्था द्वारा अंकेक्षित देयक उपार्जन समाप्ति से अधिकतम 15 दिवस में राज्य उपार्जन एजेन्सी द्वारा नियत प्रारूप में जारी निर्देशों एवं JIT ONLINE GATEWAY के अनुरूप नियत समयावधि में प्रस्तुत करने पर किया जाएगा।

5.10. राज्य उपार्जन एजेन्सी द्वारा कृषकों को नियत समय पर JIT के माध्यम से भुगतान किये जाने हेतु निः शुल्क शासकीय प्रत्याभूति शासन से प्राप्त की जाकर पूंजी की व्यवस्था कम ब्याज की SHORTTERM ऋण प्राप्त करने हेतु समुचित कार्यवाही की जाएगी।

5.11. राज्य उपार्जन एजेन्सी MARKFED द्वारा खरीदी समाप्ति के पश्चात JIT पोर्टल से कृषकों को भुगतान न होने पर असफल भुगतान को OFFLINE भुगतान संचालक कृषि के अनुमोदन उपरांत कृषकों को ऑफलाईन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

6. भंडारण कार्य हेतु राज्य उपार्जन एजेन्सी का निर्धारण एवं उसके दायित्व :-

6.1 मध्यप्रदेश वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन (MPWLC) भंडारण कार्य हेतु नोडल राज्य समन्वयक एजेन्सी होगी।

6.2 राज्य भंडारण एजेन्सी द्वारा भारत सरकार की PSS गाईड लाईन में विद्यमान प्रावधान अनुसार खरीदी केन्द्र से 50 किलोमीटर दूरी की सीमा में भंडारण गोदाम उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी, ताकि परिवहन व्यय को न्यूनतम किया जा सके।

6.3 उपार्जन मात्रा के आंकलन अनुरूप यथासंभव जिले में ही उपयुक्त भंडारण व्यवस्था अथवा आवश्यक होने पर राज्य उपार्जन समिति के परामर्श पर अस्थायी / स्थायी केपों का निर्माण साईलो / ककून आदि के व्यवस्था भंडारण हेतु राज्य नोडल एजेन्सी द्वारा की जाएगी।

6.4 "गोदाम स्तरीय भंडारण स्थल पर एवं गोदाम स्तर से इतर परिवहन होकर आने वाले उपार्जित स्कंध के जमा स्थल पर गुणवत्ता परीक्षण राष्ट्रीय उपार्जन एजेन्सी के सर्वेयर द्वारा की जाएगी, इसके उपरांत भी गुणवत्ता परीक्षण का दायित्व गोदाम संचालक एवं भंडारण एजेन्सी का रहेगा, उनके द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सर्वेयर द्वारा प्रतिवेदित गुणवत्ता रिपोर्ट मान्य किए जाने योग्य है अथवा नहीं। मान्य किए जाने योग्य होने की दशा में ही स्कंध स्वीकार किया जाएगा। तदोपरांत ही राज्य भंडारण एंजेन्सी द्वारा FAQ मानक की भंडारण रसीद जारी की जाएगी। परिदान के समय भंडारित स्कंध FAQ मानक का परिदान किए जाने का उत्तरदायित्व गोदाम संचालक/भंडारण एजेन्सी का होगा। संयुक्त भागीदारी योजना में प्राप्त किए गए गोदामों के लिए निष्पादित किए जाने वाले अनुबंध में इस आशय का स्पष्ट प्रावधान किए जाने का उत्तरदायित्व राज्य भंडारण एजेन्सी का होगा। प्रबंध संचालक MPWLC द्वारा मैदानी अधिकारियों एवं गोदाम संचालकों को समुचित निर्देश इस बावत् जारी किए जाऐंगे "।

6.5 CWC/SWC/संयुक्त भागीदारी योजना अंतर्गत प्राप्त किए गए निजी गोदामों एवं अन्य एजेन्सी के गोदामों में भंडारित सोयाबीन के निस्तारण प्रक्रिया अंतर्गत परिदान प्राप्ति के दौरान स्टेकों के अंदर NON FAQ स्कंध प्रदर्शित होने की स्थिति निर्मित होने पर गोदाम संचालक/भंडारण एजेन्सी को ऐसे स्कंध की छटाई कराकर FAQ स्कंध का परिदान किया जाना होगा। गोदाम संचालक/ भंडारण एजेन्सी द्वारा स्कंध के जमा /भुगतान में कोई अवरोध उत्पन्न नहीं करेगा। NON FAQ स्कंध को अपग्रेडेशन कराये जाने का दायित्व गोदाम संचालक एवं भंडारण एजेन्सी का होगा। अपग्रेडेशन प्रक्रिया अंतर्गत स्कंध FAQ नहीं पाए जाने की दशा में ऐसे स्कंध के निस्तारण पर होने वाली आर्थिक हानि की भरपाई उनके देयकों से कटोत्रा करने के साथ-साथ ऐसे गोदामों को ब्लैक लिस्टेड किया जाएगा। आर्थिक हानि की कटोत्रा योग्य राशि अधिक होने पर उसकी वसूली उसी प्रकार की जाएगी, जैसे भू- राजस्व की वसूली की जाती है।

6.6 गोदाम स्तरीय उपार्जन केन्द्रों पर उपार्जन अवधि के दौरान गोदाम के अंदर उपार्जित स्कंध का पाला किया जाकर तुलाई एवं पैकिंग का कार्य उपार्जन केन्द्र की उपार्जन समिति को किए जाने हेतु सुविधा प्रदान नहीं करेगा। उपार्जन केन्द्र की उपार्जन समिति द्वारा कृषकवार खरीदी एवं कृषकवार तुलाई एवं पैकिंग का कार्य किया जाकर टैग के ऊपर कृषक पंजीयन क्र. अंकित किया जाना आवश्यक है। पाला कर तुलाई किए जाने की दशा में वास्तविक कृषक की पहचान संभव नहीं हो पाएगी। उपार्जन केन्द्र के गोदामों पर ऐसा पाये जाने की दशा में संबंधित गोदाम संचालक स्वयमेव उत्तरदायी होंगे।

7. **जिला उपार्जन समिति का दायित्व :-**

उपार्जन केन्द्र स्थल का निर्धारण जिला उपार्जन समिति द्वारा निम्न बिन्दुओं को दृष्टिगत रखकर किया जाएगा :-

7.1 उपार्जन केन्द्र स्थल चयन की प्रक्रिया " PROCUREMENT CENTER PROTOCOL" के अनुरूप होगी। जिसमें ग्रामों की मेपिंग का आधार विगत वर्ष का LEGACY DATA एवं भंडारण स्थल की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए किया जाएगा।

7.2 PROCUREMENT CENTER PROTOCOL की मुख्य डाटा एन्ट्री DSO/DDA LOGIN से संचालित होगी। उपार्जन केन्द्र एवं भंडारण स्थल की GEO LOCATION PMU द्वारा निर्धारित IT TOOLS में ली जाएगी।

7.3 उपार्जन केन्द्र पर आवश्यक भौतिक संसाधनों उपकरणों एवं व्यवस्थाओं आदि की प्रविष्टि ई-उपार्जन पोर्टल पर की जाए।

7.4 उपार्जन केन्द्र प्राथमिकता से गोदाम परिसर में ही स्थापित किये जाए। जिससे व्ययों में कमी की जाकर कृषकों का भुगतान तुरंत हो सकेगा। गोदाम परिसर स्थल की अनुपलब्धता होने की दशा में ही उपार्जन केन्द्र को गोदाम परिसर से इतर स्थापित किया जाएगा।

7.5 गोदाम स्तरीय उपार्जन केन्द्र पर नेफेड/एन.सी.सी.एफ. द्वारा योग्यता धारी (BSC) कृषि स्नातक एवं तकनीकी रूप से प्रशिक्षित सर्वेयर पूरे समय तक रखे जावेगे।

7.6 सामान्यत: उपार्जन केन्द्र गोदाम/ मंडी/उपमंडी परिसर पर ही खोला जाए।

7.7 उपार्जन केन्द्र पर पूर्ण पंचायत टेग की जाए।

7.8 जिले की प्रत्येक तहसील में कम से कम एक केन्द्र खोला जाए।

7.9 उपार्जन केन्द्र पर कृषकों की संख्या यथा संभव 200 से 1000 तक रखी जाए। ग्राम क्षेत्र की पूर्ण कृषक संख्या को दृष्टिगत रखते हुए जिला उपार्जन समितिउर्पाजन केन्द्र की कृषक संख्या में कमी अथवा वृद्धि 50 प्रतिशत तक कर सकेंगे।

7.10 सामान्यत: उपार्जन केन्द्र पर 3000 से 5000 मी0टन मात्रा का उपार्जन किया जाए। जिला उर्पाजन समिति उपार्जित की जाने वाली अनुमानित मात्रा को दृष्टिगत रखते हुए 50 प्रतिशत तक की कम एवं वृद्धि कर सकेगी।

7.11 यथा संभव उपार्जन केन्द्र स्थल का चयन इस प्रकार किया जावे, कि केन्द्र से सम्बद्ध की गई पंचायतों के केन्द्र बिन्दु में हो , जिससे कृषकों को सामान्यत: 25 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय न करना पड़े।

7.12 CWC/SWC के गोदाम, स्टील साईलो, साईलो बैग, समस्त शासकीय एजेंसियों के गोदाम तथा ककून की रिक्त क्षमता के मान से उपार्जन समितियां संलग्न की जाए। इन श्रेणियों की रिक्त क्षमता को पूर्ण भरने का दायित्व जिला उपार्जन समिति का होगा।

7.13 जिन जिलों में सोयाबीन का पंजीयन कम हुआ हो, वहां मंडी स्तर पर कम से कम एक केन्द्र खोला जाए। जिसमें न्यूनतम किसान संख्या तथा दूरी का बंधन नहीं रहेगा।

7.14 जिला उर्पाजन समिति द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए, कि एक उपार्जन केन्द्र पर न्यूनतम 3000 मी0टन सोयाबीन का उपार्जन हो , इससे कम उपार्जन की संभावना होने पर आय-व्यय का आंकलन कर ही केन्द्र प्रस्तावित किया जाए। 3000 मी0टन से कम उपार्जन मात्रा के केन्द्र पर व्ययों को सीमित करने की दृष्टि से जिला उपार्जन समिति द्वारा इन केन्द्रों पर उपार्जन अवधि कम करने के प्रस्ताव का अनुमोदन संचालक (कृषि) से प्राप्त कर अधिसूचित किए जाएंगे।

8. गोदाम स्तरीय एवं गोदाम से इतर उपार्जन केन्द्र निर्धारण करते समय निम्न तथ्यों का ध्यान रखा जाए :-

A गोदाम स्तरीय उपार्जन केन्द्र :-

i. गोदाम स्तरीय उपार्जन केन्द्र के परिसर में उपार्जित स्कंध को सुरक्षित अस्थायी भंडारण की व्यवस्था उपलब्ध हो अर्थात परिसर लो लाईन एरिया न हो।

ii. गोदाम के प्लेटफार्म पर तुलाई हेतु पर्याप्त स्थान उपलब्ध होने की दशा में ऐसे गोदामों को उपार्जन केन्द्र बनाये जाने हेतु प्राथमिकता दी जावे।

iii. उपार्जन केन्द्र पर वाहनों के खड़े होने के पर्याप्त खुला स्थान उपलब्ध एवं पहुंच मार्ग सुगम हो।

iv. गोदाम परिसर में धर्म-कांटे की व्यवस्था उपलब्ध हो।

B गोदाम स्तर से इतर उपार्जन केन्द्र :-

i. उपार्जन केन्द्र से स्कंध के परिवहन हेतु सुगम मार्ग हो

ii. किसानों के वाहन खड़े होने हेतु पर्याप्त खुला स्थान उपलब्ध हो।

iii. उपार्जित स्कंध के अस्थाई भंडारण हेतु समुचित (गोदाम/शेड/पक्का फर्श/ जल निकासीयुक्त हाईस्टेटा ऊंची भूमि आदि) व्यवस्था।

iv. उपार्जन केन्द्र लो लाईन एरिया में कदापि न हो।

v. विद्युत , पेयजल एवं जन-सुविधा उपलब्ध हो।

vi. उपार्जित स्कंध के सुरक्षा की व्यवस्था हो।

vii. उपज के तुलाई एवं भंडारण स्थल के ऊपर इलेक्ट्रिक लाईन न हो।

viii. उपज की सफाई एवं छन्ना लगाने हेतु पर्याप्त खुला स्थान हो। उपार्जन केन्द्र से न्यूनतम दूरी पर धर्म-कांटा की व्यवस्था हो। कृषक पंजीयन उपरांत कृषक संख्या एवं अनुमानित उपार्जित होने वाली मात्रा ज्ञात होने पर प्रत्येक जिले हेतु अधिकतम उपार्जन केन्द्रों की संख्या संचालक (कृषि)द्वारा नियत की जाएगी। उपार्जन केन्द्रों की संख्या कृषक पंजीयन संख्या, क्षेत्रफल एवं विगत वर्षों में उपार्जित मात्रा के आधार पर नियत की जाएगी।

9. उपार्जन केन्द्र संचालन हेतु संस्थाओं की पात्रता एवं चयन की प्रक्रिया :-

9.1 म.प्र. सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 के अंतर्गत पंजीकृत प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाए/ वृहताकार कृषि साख सहकारी संस्थाएं , आदिम जाति सहकारी सेवा संस्थाए जो कि जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक से सम्बद्ध हों

अथवा

आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं म.प्र. शासन के आदेश क्र. / विपणन/2013/869 दिनांक 27-05-2013 में उल्लेखित विकास खण्ड स्तरीय विपणन सहकारी संस्थाएं।

9.2 किसान उत्पादक संगठन (FPO-FARMER PRODUCER ORGANISATION एवं FPC- FARMER PRODUCER COMPANY) जो विगत तीन वर्ष पूर्व से जिले में पंजीकृत है एवं उपार्जन कार्य करने हेतु सक्षम है, को भी उपार्जन का कार्य खाद्य विभाग के परिपत्र क्र. एफ /599/ PS FOOD/2022 दिनांक 19-09-2022 एवं समय-समय पर जारी निर्देशानुसार सौंपा जा सकेगा।

9.3 जिलें में विगत वर्ष में राशि रू.1.00 करोड़ का टर्न ओवर करने वाले FPO/FPC को ही उपार्जन कार्य में शामिल किया जावें एवं जिले के कुल उपार्जन केन्द्रों का अधिकतम 10 प्रतिशत केन्द्र ही FPO/FPC को दिया जा सकेगा। FPO/FPC सिर्फ उसी जिले में उपार्जन का कार्य कर सकेगे, जिस जिले में उसके सदस्य कृषक निवासी हो।

9.4 उपार्जन एजेन्सियां FPO एव FPC द्वारा लिकिंग प्रावधान अनुसार कृषकों के बकाया ऋण राशि की वसूली कृषक भुगतान के समय यदि नहीं की जाती है, तो ऐसी संस्था को उपार्जन कार्य से उपार्जन वर्ष के दौरान ही उपार्जन कार्य से पृथक किया जावेगा।

9.5 सामान्यत: एक पात्र सहकारी समिति द्वारा अधिकतम दो उपार्जन केन्द्र का संचालन किया जाएगा। FPO , एव FPC को अधिकतम एक उपार्जन केन्द्र का कार्य सौंपा जा सकेगा।

9.6 निर्देशित व्यवस्था से जिले में आवश्यकतानुसार उपार्जन केन्द्र खोलने हेतु पात्र संस्थाएं उपलब्ध न होने पर जिला उपार्जन समिति के प्रस्ताव के आधार पर संचालक कृषि के अनुमोदन से विकास खंड स्तरीय विपणन सहकारी संस्थाओं को दो से अधिक उपार्जन केन्द्र का कार्य सौंपा जा सकेगा। जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक की सहकारी संस्थाओं को दो से अधिक उपार्जन केन्द्रों का कार्य न सौंपा जाए।

9.7 एक सहकारी समिति को दो से अधिक उपार्जन केन्द्र का कार्य देने पर तीसरे उपार्जन केन्द्र पर जिला कलेक्टर द्वारा व्यक्ति-सह-अधिकारी की पृथक से ड्यूटी लगाई जाएगी , जो कि उपार्जन केन्द्र पर घटती, गवन आदि अनियमितता होने पर जिम्मेदार होगा।

9.8 उपार्जन केन्द्र की स्थापना उपार्जन प्रारंभ होने की दिनांक से पूर्व कर लिया जाए ताकि परिवहन एवं भंडारण मेपिंग समय पर की जा सके।

9.9 जिले में पर्याप्त संख्या में उपार्जन केन्द्र संचालन हेतु संस्थाएं उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में जिला कलेक्टर की अनुशंसा पर संचालक कृषि द्वारा कठिनाईयों के निराकरण हेतु मापदंडो में शिथिलताएं प्रदान की जा सकेंगी।

9.10 पात्र संस्थाओं को E-UPARJAN PORTAL पर उपार्जन केन्द्र निर्धारण हेतु NIC द्वारा DSO/DDA LOGIN में प्रदर्शित कराया जाएगा, जिसमें उपार्जन कार्य करने वाली अधिकृत संस्था के प्रबंधक, बैंक खाता, कम्प्यूटर ऑपरेटर आदि का विवरण जिला उपार्जन समिति के अनुमोदन उपरांत DSC/ DSO/DDA द्वारा अपने LOGIN से E-UPARJAN PORTAL पर प्रविष्टियां की जाएगी।

10. जिला उपार्जन समितियों द्वारा उपार्जन केन्द्र की संस्थाओं की पात्रता की जांच के मापदण्ड :-

10.1 संस्था के पास पर्याप्त भौतिक एवं वित्तीय संसाधन उपलब्ध हो।

10.2 संस्था के पास पात्रतानुसार पर्याप्त साख सीमा (अनुमानित उपार्जन के प्रासंगिक एवं कमीशन मूल्य का 40%) राशि उपलब्ध हो। उक्त स्वीकृत साख सीमा की लिखित में जानकारी संबंधित जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक से प्राप्त होने पर ही मान्य की जाए।

10.3 विगत दो खरीफ विपणन वर्ष (2022-23 एवं 2023-24) तथा दो रबी विपणन वर्ष (2023-24 एवं 2024-25) में संतोषजनक कार्य किया गया हो।

10.4 उपार्जित मात्रा एवं स्वीकृत मात्रा में 0.50% से अधिक का अंतर न हो (परिवहन के दौरान हुई शार्टेज की मात्रा को छोड़कर) 0.50% तक अंतर मात्रा की राशि संबंधित उपार्जन समिति के उपार्जन प्रभारी/कर्मचारी से जमा करानी होगी (प्राकृतिक आपदा के कारण हुई कमी की मात्रा को छोड़कर)

10.5 अमानक स्तर की उपार्जन मात्रा कुल उपार्जन मात्रा की 01 % से अधिक न हो।

10.6 प्रमाणित गंभीर अनियमितता व कृषकों को भुगतान में विलंब न किया गया हो।

10.7 ऑफलाईन मोड में उपार्जन का कार्य न किया हो तथा

10.8 विगत दो रबी उपार्जन वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 में अत्यधिक मात्रा में समिति स्तर पर स्कंध खराब न हुआ हो,

10.9 परिवहनकर्ता को स्कंध बिना तौले सौंप कर परिवहन न कराया गया हो।

10.10 समिति स्तर पर कृषक पंजीयन करने वाले ऑपरेटर को उसी केन्द्र पर उपार्जन कार्य हेतु यथा संभव न लगाया जाए। ऑपरेटर की सेवाएं अन्य उपार्जन केन्द्र पर ली जा सकेगी।

10.11 पूर्व के वर्षों की किसी अपात्र संस्था के केन्द्र प्रभारी एवं ऑपरेटर को किसी अन्य संस्था में नहीं रखा जाएगा।

10.12 विगत वर्ष के उपार्जन कार्य में अनियमितता करने वाली ब्लेक लिस्टेड संस्थाओं में कार्य करने वाले कम्प्यूटर ऑपरेटर के आधार नंबर एवं मोबाइल नंबर का डाटाबेस तैयार किया जाएगा एवं ऐसे ऑपरेटर का किसी भी केन्द्र पर पंजीयन न होने की व्यवस्था साफ्टवेयर में की जाएगी।

10.13 किसान पंजीयन एवं उपार्जन करने वाली समितियों/ संस्थाओं में कार्यरत ऑपरेटर को उपार्जन एवं पंजीयन अवधि का मानदेय ऑपरेटर की आधार से लिंक बैंक खाते में ऑनलाईन भुगतान NEFT/RTGS के माध्यम से उपार्जन समिति/ संस्था द्वारा किया जाए।

10.14 विगत दो खरीफ विपणन वर्ष (2022-23 एवं 2023-24) तथा दो रबी विपणन वर्ष (2023-24 एवं 2024-25) में उपार्जित एवं स्वीकृत मात्रा में 0.50% से अधिक अंतर वाली संथाओं को अपरिहार्य कारणों से जिला उपार्जन समिति द्वारा उपार्जन कार्य देने की अनुशंसा करने पर संस्था के संबंधित कर्मचारियों से स्कंध की अंतर मात्रा का 50 प्रतिशत राशि (समर्थन मूल्य की दर से) एफडी के रूप में शाखा प्रबंधक, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के पास जमा कराए जाने तथा अंतर की राशि की वसूली के उपरांत संस्था को कार्य दिया जा सकेगा। जिससे संस्था के पंजीयन/ उपार्जन कार्य में हानि/अनियमितता करने पर इस राशि से प्रतिपूर्ति की जा सकेगी। इस संबंध में सहकारिता विभाग द्वारा पृथक से निर्देश जारी किए जाएंगे।

10.15 परिवहन में पाई गयी कमी की राशि की वसूली परिवहनकर्ता से वसूल की जाएगी एवं परिवहन के दौरान पाई गयी कमी की मात्रा को समिति के अंतर मात्रा में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

10.16 DM-MPSCSC,DMO-MARKFED, जिला प्रभारी MPWLC एवं GM-DCCB से संस्थाओं की पात्रता के संबंध में राय प्राप्त कर उप/सहायक आयुक्त, सहकारिता द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया हो।

10.17 जिला उपार्जन समिति की उप-समिति (DRCS, GM-DCCB, DM MPSCSC, DMO, DDA, DSC / DSO) सभी पात्र संस्थाओं की समीक्षा/रेकिंग कर उपयुक्त संस्था के चयन हेतु कलेक्टर को प्रस्ताव प्रस्तुत कर आदेश प्राप्त करेगी। यदि आवेदन प्राप्त नहीं होते हैं तब भी कलेक्टर द्वारा स्वयमेव परीक्षण अनुसार उपयुक्त संस्था को कार्य दिया जा सकेगा।

10.18 खरीफ 2024 (विपणन वर्ष 2024-25) में जिन संस्थाओं द्वारा किसान पंजीयन का कार्य किया गया है उनकों उपार्जन का कार्य सौंपा जा सकेगा।

11. उपार्जन केन्द्र संचालन हेतु आवश्यक भौतिक एवं मानव संसाधन :-

पंजीयन / उपार्जन केन्द्र संचालन हेतु आवश्यक भौतिक एवं मानव संसाधन – संचालक खाद्य, आयुक्त, सहकारिता एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ के प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन (MD, MPSCSC) , संयुक्त हस्ताक्षर से जारी पत्र दिनांक 27-02-2019 एवं भारत सरकार द्वारा प्रासांगिक व्यय के पुनरीक्षण निर्धारण के संबंध में जारी निर्देश दिनांक 24-02-2020 एवं भारत सरकार की दलहन-तिलहन उपार्जन हेतु जारी दिशा निर्देशों में विद्यमान प्रावधान अनुसार निर्धारित स्पेसिफिकेशन की भौतिक, मानव संसाधन , तौल-कांटा तथा अन्य सुविधाओं की उपलब्धता प्रत्येक केन्द्र पर संचालन करने वाली संस्था के द्वारा सुनिश्चित की जाएगी जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

11.1 **भौतिक सुविधाएं :-**

1. हाई- स्पीड इंटरनेट कनेक्शन, एवं निर्बाध विद्युत/जनरेटर सुविधा
2. इलेक्ट्रानिक उपकरण –कम्प्यूटर, प्रिन्टर, डोंगल, स्केनर, UPS, लेपटाप, बैटरीआदि
3. जन –सुविधाएं यथा-दरिया , टेबल, कुर्सी, पेयजल, शौचालय, छाया, बिजली आदि
4. उपार्जन उपकरण यथा –Analog Moisture Meter (केलिब्रेटेड), बड़ा छन्ना, पंखे परखी, ग्रेडिंग, एवं क्लीनिंग मशीन आदि
5. सूचनापटल, उपार्जन बैनर तथा सामान्य जानकारी – FAQ Sample FAQ गुणवत्ता का मापदंड, भुगतान एवं टोल –फ्री नंबर का प्रदर्शन सभी उपार्जन केन्द्रों पर सूचना प्रदर्शन में एकरूपता लाने के लिए उपार्जन एजेन्सी द्वारा प्रारूप जिले को प्रेषित किये जाऐंगे।
6. सुरक्षात्मक सुविधाएं – गुणवत्ता युक्त WATER PROOF तिरपाल, कवर , अग्निशमन यंत्र , रेत , बाल्टियां, first-aid box आदि तथा
7. सम्बद्ध वे-ब्रिज एवं न्यूनतम 4 बड़े इलेक्ट्रानिक तौल कांटे।
8. किसान की उपज की साफ-सफाई हेतु कस्टम हाईरिंग / आउटसोंसिंग के माध्यम से आवश्यक सफाई उपकरण की उपलब्धता।
9. बायोमेट्रिक डिवाइस (विभाग द्वारा निर्धारित स्पेसिफिकेशन अनुसार)

11.1 **मानव संसाधन :-**

1. केन्द्र हेतु नामित अथवा नियोजित प्रबंधन प्रभारी

2. संस्था द्वारा नियोजित डाटा एन्ट्री ऑपरेटर जो कि CPCT अथवा डिप्लोमा/डिग्रीधारी व्यक्ति हो।
3. तौल-कांटे संचालन करने हेतु आवश्यक संख्या में तुलावटी एवं हम्माल
4. वे-ब्रिज की दशा में नियोजित/नामितवे-ब्रिज प्रभारी
5. गोदाम स्थल से अन्यत्र परिसर पर केन्द्र होने पर संस्था द्वारा नियोजित गुणवत्ता परीक्षक/सर्वेयर
6. अधिक उपार्जन मात्रा की संभावना वाले केन्द्रों में उपार्जन मात्रा के आधार पर अतिरिक्त कर्मचारियों, तौल-कांटो, कम्प्यूटर आदि की व्यवस्था समिति द्वारा स्वयं की आय/कमीशन में से सुनिश्चित की जाएगी।
7. प्रत्येक केन्द्र पर (औसतन 100 मी0टन की) दैनिक खरीदी हेतु 4 कैलिब्रेटेड तौल कांटे एवं आवश्यक तुलावटी की व्यवस्था केन्द्र संचालन करने वाली संस्था के द्वारा की जाएगी। तुलावटी एवं हम्माल की व्यवस्था एवं दरों में एकरूपता लाने के लिये उपार्जन समिति द्वारा अनुबंध किया जाऐगा। अनुबंध का प्रारूप आयुक्त सहकारिता द्वारा निर्धारित कर उपलब्ध कराया जाएगा।
8. समिति स्तर से स्कंध के ट्रक में लोडिंग कार्य अर्थात हेण्डलिंग कार्य हेतु मजदूरों की व्यवस्था भी समिति द्वारा की जाएगी।

12. भंडारण व्यवस्था एवं उपार्जन केन्द्रों की मैपिंग :-

12.1 भंडारण कार्य हेतु राज्य नोडल एजेन्सी म0प्र0 वेयरहाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन द्वारा उपार्जन मात्रा अनुमान के आधार पर राज्य शासन की वांछानुसार 15 प्रतिशत अतिरिक्त भंडारण क्षमता सहित भंडारण की व्यवस्था हेतु उत्तरदायी रहेगी।

12.2 शासकीय गोंदामों में भंडारण क्षमता 125 प्रतिशत तथा JVS 120 प्रतिशत की मैपिंग की जा सकेगी, जिसे परिस्थिति अनुसार MPWLC द्वारा 130 प्रतिशत तक किया जा सकेगा।

12.3 भंडारण क्षमता की जिलेवार कमी का आंकलन एवं पूर्ति का यथासंभव जिले में ही उपयुक्त भंडारण व्यवस्था अथवा आवश्यक होने पर राज्य उपार्जन समिति के परामर्श पर विभाग द्वारा अस्थाई/स्थाई कैपों का निर्माण/सायलों/काकून आदि की व्यवस्था भंडारण हेतु नियत राज्य नोडल एवं समन्वयक एजेन्सी द्वारा की जाएगी।

12.4 गोदाम परिसर से इतर एवं गोदाम परिसरों के भरने की दशा में भंडारण हेतु गोदामों को न्यूनतम व्यय एवं संग्रहण प्राथमिकता के आधार पर मैप किया जाएगा। अपरिहार्य स्थिति में संबंधित प्रबंध संचालक उपार्जन एजेंसी के अनुमोदन उपरांत मुख्यालय से ही साफ्टवेयर मैपिंग में परिवर्तन किया जा सकेगा। जिन जिलों में भंडारण क्षमता की कमी है वहां मैपिंग राज्य स्तर से उपार्जन एजेंसी के प्रबंध संचालक द्वारा भंडारण एजेंसी से परामर्श उपरांत किया जाएगा।

12.5 उपार्जन केन्द्र से मेप्ड किये गए गोदाम की भंडारण क्षमता समाप्त होने के उपरांत मेपिंग में परिवर्तन का ऑप्शन साफ्टवेयर में प्रदर्शित कराया जाएगा।

13. भंडारण हेतु गोदामों की प्राथमिकता के मापदण्ड एवं प्राथमिकता क्रम :-

13.1 भारत सरकार के द्वारा जारी AMENDED GUIDELINES FOR PRICE SUPPORT SCHEME (PSS) (PULSES OILSEEDS & COPRA) UNDER PM-AASHA के CHAPTER II के भाग (B) के बिन्दु क्र. VI में विद्यमान प्रावधान एवं शासन द्वारा समय –समय पर जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप CWC/SWC

के गोदामों को चयनित किया जाकर उपार्जन केन्द्र से 50 किलोमीटर की दूरी तक परिवहन कर स्कंध का भंडारण किया जाएगा। गोदाम परिसर से इतर एवं गोदाम परिसरों के भरने की दशा में भंडारण हेतु गोदामों को संग्रहण प्राथमिकता अंतर्गत न्यूनतम व्यय के आधार पर उपार्जन कार्य प्रारंभ होने के 10 दिवस पूर्व मेप किया जाएगा।

13.2 CWC/SWC द्वारा उपलब्ध कराये गये गोदामों में।

13.3 गारंटीयुक्त क्षमता यथा – स्टील सायलो।

13.4 समस्त शासकीय/अर्द्धशासकीय एजेंसियों की कवर्ड गोदाम क्षमता, साईलो बेग तथा ककून।

13.5 MPWLC द्वारा संयुक्त भागीदारी योजना अंतर्गत संचालित गोदाम क्षमता।

13.6 किराये/अधिग्रहण के गोदाम

13.7 संयुक्त भागीदारी योजना अंतर्गत संचालित गोदामों पर खरीदी केन्द्र स्थापित होने की दशा में गोदाम संचालक द्वारा मेकेनाईज्ड सेग्रीगेशन सिस्टम उपार्जन प्रारंभ होने के पूर्व स्थापित करना अनिवार्य होगा।

14. परिवहन व्यवस्था:-

14.1 परिवहनकर्ताओं की नियुक्ति भारत सरकार के पत्र क्रमांक 192(14)2018-FCA/cs दिनांक 06-05-2019 के अनुक्रम में निर्धारित SOR अनुसार करते हुए अनुबंध की कार्यवाही उपार्जन एजेंसी द्वारा उपार्जन कार्य प्रारंभ होने के पूर्व आवश्यक रूप से पूर्ण कर ली जाए।

14.2 परिवहन का उत्तरदायित्व संबंधित जिले की उपार्जन एजेंसी का होगा जो कि निविदा उपरांत परिवहनकर्ताओं से परिवहन एवं हैण्डलिंग के साथ-साथ गोदाम परिसरों में हैण्डलिंग एवं मूवमेंट के लिए चयनित निविदाकर्ता से अनुबंध करेगी।

14.3 उपार्जित स्कंध के समय-सीमा में परिवहन हेतु उपार्जन एजेंसियां (MARKFED) द्वारा निविदा के माध्यम से निर्धारित परिवहन दरों पर परस्पर परिवहन का कार्य कराया जा सकेगा।

14.4 उपार्जित स्कंध के R2T एवं ट्रक चालान जारी करने की दिनांक प्रदर्शित कराई जाए।

15. परिवहन कार्य योजना के मापदण्ड :-

15.1 परिवहन मैपिंग प्रोटोकॉल के अनुरूप जारी की जाएगी।

15.2 उपार्जन केन्द्रों से गोदाम /केप की मैपिंग इस प्रकार की जाए कि जिले का समस्त परिवहन व्यय न्यूनतम हो इस हेतु ई-उपार्जन / CSMS साफ्टवेयर में पर्याप्त BUSINESS INTELLIGENCE DEVELOP किया जाए जिसके कि सॉफ्टवेयर के माध्यम से न्यूनतम परिवहन व्यय को हमेशा प्राथमिकता दी जाए।

15.3 उपार्जन के दौरान गोदामों की मैपिंग में भंडारण क्षमता पूर्ण होने की स्थिति में ट्रकों को अन्य गोदामों में भेजने की स्थिति को नियंत्रित करने हेतु DYNAMIC TRUCK MOVEMENT & GODOWN SHIFTING PROTOCOL तैयार किया जाए। इसके साथ-साथ प्रत्येक गोदाम के DAILY UNLOADING CAPACITY की प्रविष्टि कराते हुए GODOWN ALLOCATION इस प्रकार हो कि अनलोडिंग में कम से कम समय लगे तथा तत्समय उपलब्ध गोदामों में क्रमानुसार भंडारण उपरांत न्यून परिवहन व्यय हो।

15.4 उपार्जित स्कंध को निर्धारित परिवहन मैपिंग के अनुसार भंडारण कराया जाए तथा मैपिंग उपार्जन एजेन्सी के जिला अधिकारियों द्वारा की जाएगी, अपरिहार्य परिस्थिति में कारणों का उल्लेख करते हुए मैपिंग में संशोधन, उपार्जन एजेन्सी के प्रबंध संचालक द्वारा भंडारण एजेन्सी से परामर्श उपरांत किया जा सकेगा।

15.5 धर्म- कांटे (वे-ब्रिज) एवं तौल संबंधी आवश्यक प्रावधान निविदाओं में किए जाएंगे तथा धर्म – कांटे की उपार्जन संग्रहण केन्द्र से मैपिंग जिला उपार्जन समिति द्वारा की जाए।

15.6 गोदाम परिसर से इतर एवं गोदाम परिसरों के भरने की दशा में भंडारण हेतु गोदामों को संग्रहण प्राथमिकता अंतर्गत न्यूनतम व्यय के आधार पर मेपिंग जिला उपार्जन समिति द्वारा उपार्जन एजेन्सी / भंडारण एजेन्सी के समन्वय से की जाएगी।

15.7 जिले की डायवर्टेड TC की जानकारी एवं TC वार ट्रांजिट लॉस की जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध कराई जाएगी।

15.8 उपार्जन केन्द्र से मेप्ड गोदाम की क्षमता पूर्ण होने पर समिति के लॉगिन में TC जारी करने हेतु ऐसे गोदाम प्रदर्शित नहीं कराए जाए।

15.9 उपार्जित स्कंध के परिवहन हेतु निविदा के माध्यम से निर्धारित परिवहन दरों पर अथवा वैकल्पिक व्यवस्था के तहत रबी वर्ष 2024-25 गत वर्षो की रबी/खरीफ,गेहू/धान/दलह/तिलहन की निविदा के माध्यम से MPSCSC/MARKFED कि निर्धारित परिवहन दरों पर कार्य कराया जा सकेगा।

16. परिवहन सेक्टरों एवं निविदाओं में उपार्जन एजेंसी हेतु मार्गदर्शी बिन्दु :-

16.1 सामान्यत: सभी जिंसों की पंजीयन मात्रा सेक्टर में SLC द्वारा दी गई मात्रा से अधिक न हो।

16.2 यथा संभव सम्पूर्ण जिले/ तहसील को यथा स्थिति सेक्टर के लिए पूर्ण ईकाई रखा जाए।

16.3 गोदाम परिसर के केन्द्रो में हैण्डलिंग एवं मूवमेंट दरों का पृथक-पृथक स्पष्ट प्रावधान किए जाए।

16.4 गोदाम परिसर से ईतर केन्द्रों हेतु भी दूरियों की दरें विकेन्द्रीकृत संग्रहण अनुसार अनुबंधित हो।

16.5 गोदाम परिसर के केन्द्रों में गोदाम स्वामी एवं उपार्जन संस्था से भी दरें प्राप्त की जा सकेगी तथा

16.6 धर्म-कांटे (वे-ब्रिज) से तौल तथा मार्गस्थ कमी संबंधित उचित प्रावधान किए जाऐगे।

16.7 परिवहनकर्ता की अनुबंधित वाहनों की संख्या में वृद्धि की जाए।

16.8 अनुबंधित परिवहनकर्ता द्वारा समय पर स्कंध का परिवहन न करने पर जिला उपार्जन समिति द्वारा उपार्जन समितियों की सहमति की दशा में परिवहन का कार्य निर्धारित दरों पर ही कराया जा सकेगा।

17. परिवहनकर्ता से निष्पादित किये जाने वाले अनुबंध में आवश्यक प्रावधान किये जाने वाले बिन्दु :-

17.1 निर्धारित समय- सीमा में उपार्जित स्कंध की परिवहन न होने की दशा में अथवा परिवहनकर्ता के विफल होने पर जिला उपार्जन समिति द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था की जा सकेगी जिसकी आवश्यक कटौती, दण्ड एवं ब्लेकलिस्ट करने का विफल परिवहनकर्ता पर प्रावधान।

17.2 परिवहनकर्ता द्वारा समय-सीमा में परिवहन न करने पर पेनाल्टी की व्यवस्था साप्ताहिक रूप से की जाएगी जिसकी ऑनलाईन व्यवस्था भी बनाई जाएगी।

17.3 केन्द्र द्वारा R2T एवं DAY CLOSER REPORT करने के 24 घंटे के अंदर उपार्जन एजेंसी के जिला अधिकारी द्वारा परिवहन आदेश जारी किया जाए। परिवहन आदेश रात्रि 8:00 बजे बाद जारी नहीं किए जाएंगे।

17.4 उपार्जन केन्द्रों पर बारदाना उपलब्ध होने पर ही R2T जारी करने का प्रावधान किया जाएगा।

17.5 जिला अधिकारी द्वारा परिवहन आदेश जारी होने के 72 घंटे में स्कंध का परिवहन करना होगा। परिवहन आदेश की शेष मात्रा पोर्टल पर स्वत: ही जुड़कर (AUTOMATIC SUMUP)प्रदर्शित हो।

17.6 केन्द्र द्वारा परिवहनकर्ता को उपज को शत-प्रतिशत तौल अथवा अधिकृत मैप्ड धर्मकांटे से देना।

17.7 किसान द्वारा विक्रय उपज की पूर्ण मात्रा एक ट्रक में परिवहन न होने पर शेष मात्रा उपार्जन समिति के लॉगिन में प्रदर्शित कराई जाएगी।

17.8 समिति से स्कंध के परिवहन के समय गोदाम की रिक्त क्षमता भी प्रदर्शित भी कराई जाएगी।

17.9 जिन उपार्जन केन्द्र को धर्म- कांटे से तौल की छूट दी गई है उन प्रकरणों के अतिरिक्त उपार्जन केन्द्र से स्कंध धर्म- कांटे से तौल कर परिवहनकर्ता को दिये जाना अनिवार्य होगा। इसके लिए उपार्जन समिति एवं परिवहनकर्ता के लॉगइन में ट्रक चालान के विरूद्ध धर्मकांटे की पर्ची की प्रविष्टि कर प्रावधान किया जाएगा। यदि किसी ट्रक चालान के विरूद्ध धर्मकांटे की पर्ची की प्रविष्टि नहीं की जाती है तो उस स्थिति में उस ट्रक चालान के लिए उपार्जन समिति का कमीशन एवं परिवहनकर्ता को देय राशि का भुगतान की जानकारी प्रविष्टि होने तक नहीं किया जाएगा।

17.10 केन्द्र द्वारा उपज वे-ब्रिज से अथवा शत-प्रतिशत तौल कर दिया जाता है तो मार्गस्थ कमी के लिए परिवहनकर्ता उत्तरदायी होगा।

17.11 E-UPARJAN आधारित परिवहन एवं स्वीकृति पत्रक ही भुगतान का आधार होंगे, इसके लिए हस्तलिखित या मौखिक आदेश मान्य नहीं होगे। उपार्जन के दौरान परिवहनकर्ता द्वारा निविदा शर्त अनुसार स्कंध का उठाव समय पर न करने अथवा उठाव के उपरांत समय पर गोदाम में जमा न करने की स्थिति में निविदा दस्तावेज में दिये गये पेनाल्टी की दरों की गणना ऑनलाईन सॉफ्टवेयर के माध्यम से रियल टाईम की जाने की व्यवस्था बनाई जाए तथा उपरोक्त गणना को परिवहनकर्ता के लॉगिन में दर्शाते हुए उनको एक समय सीमा (4 दिनों) के भीतर अपना पक्ष ऑनलाईन माध्यम से ही दिये जाने की व्यवस्था बनाई जाए तथा ऐसे जवाब का अधिकतम 7 दिवस में निराकरण करते हुए उपार्जन अवधि के दौरान ही पेनाल्टी की गणना कर उसके कटौत्रा उपरांत तदर्थ भुगतान परिवहनकर्ता को किया जाए। पेनाल्टी की गणना ऑनलाईन किये जाने का प्रावधान न होने की दशा में ऑफलाईन गणना की जाए।

18. बारदाना व्यवस्था:-

अनुमानित उपार्जन मात्रा का आंकलन, बारदाना/भंडारण की व्यवस्था :-

18.1 विगत वर्षो के उपार्जन अनुभव को दृष्टिगत रखते हुए पंजीकृत किसानों एवं सत्यापित रकवे के औसत उत्पादन का 80 प्रतिशत उपार्जन खरीफ 2024 (विपणन वर्ष 2024-25) में किये जाने हेतु न्यूनतम

समर्थन मूल्य पर सोयाबीन की मात्रा का अनुमान माना जावेगा, किन्तु उपार्जन की प्रारंभिक तैयारियों को दृष्टिगत रखकर बारदाने की आवश्यकता की गणना हेतु गिरदावरी से भी अनुमान प्राप्त किया जाएगा।

18.2 बारदाना की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु नोडल एजेन्सी MARKFED होगी , जो भारत सरकार द्वारा निर्धारित जूट मापदण्डों एवं राज्य के भंडारण क्रय नियमों का पालन करते हुए मानक गुणवत्ता का बारदाना नेफेड / आवश्यकतानुसार अन्य व्यवस्था के माध्यम से उपलब्ध कराएगी । बारदाना की मात्रा का निर्धारण अनुमानित उपार्जन मात्रा सहित 15 प्रतिशत अतिरिक्त मात्रा के लिए रहेगा ।

18.3 नोडल एजेन्सी MARKFED द्वारा बारदाना वितरण एवं उपयोग की संपूर्ण व्यवस्था हेतु "GUNNY BAG PROTOCOL " जारी किया जाएगा, बारदानों की संख्याओं का निर्धारण , भंडारण, उपयोग एवं पावती के साथ निर्धारित आकार से कम, कटे-फटे या खराब बारदाने प्राप्त होने तथा RELEASE दर्ज करने की व्यवस्था "GUNNY BAG PROTOCOL " में बनाई जाएगी एवं उपार्जन अवधि समाप्ति उपरांत उपार्जन केन्द्र से शेष बारदाना वापसी की समय-सीमा निर्धारित करते हुए राज्य नोडल एजेन्सी द्वारा पृथक से निर्देश जारी किए जाएंगे।

18.4 अनुमानित उपार्जन मात्रा के आकंलन आधार पर उपार्जन केन्द्रवार, अनुमानित आवक का आकंलन किया जाकर जिलों में बारदाना व्यवस्था 15 प्रतिशत अतिरिक्त बफर सहित किये जाने हेतु राज्य उपार्जन एजेन्सी उत्तरदायी रहेगी।

18.5 भारत सरकार द्वारा खरीफ 2024 (विपणन वर्ष 2024-25) में समर्थन मूल्य पर सोयाबीन फसल के उपार्जन हेतु राज्य के उपार्जन अनुमान की मात्रा अंतर्गत उपार्जन किया जाएगा।

18.6 उपार्जन केन्द्र की स्थापना के समय केन्द्र पर उपलब्ध शेष बारदाना संख्या की प्रविष्टि उपार्जन एजेंसी के जिला अधिकारी के परामर्श से DSO/DDA login से की जाएगी ।

18.7 उपार्जन केन्द्र को प्रदाय बारदाना की संख्या एवं दिनांक की प्रविष्टि पोर्टल पर DMmpscsc/DMO login से कराई जाएगी ।

18.8 उपार्जन केन्द्र पर बारदाना की मांग अनुपयोगी बारदाने , समिति को प्राप्त बारदाने, उपयोग किए गए बारदाने एवं शेष बारदाने की एकजाई जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध कराई जाएगी।

18.9 उपार्जन केन्द्र पर प्रेषित बारदानों में से खराब एवं अनुपयोगी बारदानों का पंचनामा पोर्टल पर अपलोड करने एवं उपखंड स्तरीय समिति द्वारा सत्यापन ऑनलाईन दर्ज करने की व्यवस्था बनाई जाएगी।

18.10 मार्कफेड द्वारा मासिक उपार्जन अनुमान के अनुरूप जिले में एक माह पूर्व बारदाना भंडारण कर संबंधित DM/DMO के जिला प्रभारी को सौंपा जाएगा इसके भंडारण एवं विनियमन का दायित्व संबंधित जिले की उपार्जन एजेंसी का होगा।

18.11 उपार्जन केन्द्र पर उपार्जन समिति द्वारा उपार्जन कार्य में उपयोग किया जाने वाले बारदाना पर स्टेंसिल लगाते समय खरीदी अनुमान के अनुरूप इस प्रकार बारदाना गठान खोली जाए, कि खरीदी कार्य समाप्ति पर एक गठान में नियत बारदाना संख्या 500 नग से अधिक बारदाना खुला हुआ उपार्जन केन्द्र स्थल पर शेष नहीं होना चाहिये । 500 नग बारदाना से अधिक खुला बारदाना वापिस प्राप्त नहीं किया जाएगा एवं उसकी मूल्य की राशि उपार्जन समिति को भुगतान योग्य राशि से समायोजित की जाएगी ।

19. उपार्जन केन्द्र स्तर पर कृषकों से उपज क्रय करने की प्रक्रिया एवं व्यवस्था :-

19.1 किसानों द्वारा फसल के बोए गए सत्यापित रकवे एवं तहसील की उत्पादकता (फसल कटाई द्वारा निर्धारित) के अनुसार विक्रय योग्य अधिकतम मात्रा की जानकारी 'e-uparjan ' में कृषकवार प्रदर्शित रहेगी। कृषक द्वारा पूर्व में मण्डी में विक्रय की गई मात्रा पोर्टल में प्रदर्शित रहेगी। कृषकों द्वारा मण्डी में विक्रय किये गये सोयाबीन की मात्रा को कुल उपज की मात्रा में घटाने के पश्चात शेष मात्रा के उपार्जन की पात्रता रहेगी, जिसके अनुसार उपार्जन किया जायेगा। इससे अधिक उपज का उपार्जन कृषकों से नहीं किया जा सकेगा। किसान द्वारा उत्पादित उपज के विक्रय पश्चात शेष रही पात्रता पर अन्य व्यक्तियों द्वारा कोई उपज विक्रय न की जाए, इस दृष्टि से शेष पात्रता को ई-उपार्जन पोर्टल पर hide करने की व्यवस्था बनाई जाएगी।

19.2 एक कृषक की भूमि पृथक-पृथक ग्रामों/तहसील में होने पर कृषक की संपूर्ण भूमि एवं उपज की विक्रय योग्य पात्रता उन समस्त उपार्जन केन्द्रों पर प्रदर्शित कराई जाएगी जिस पर किसान का ग्राम/भूमि संलग्न की गई है कृषक अपनी सुविधा अनुसार किसी एक उपार्जन केन्द्र पर पात्रता अनुसार उपज का विक्रय कर सकेंगे। एक केन्द्र पर विक्रय की गई उपज स्वत: सभी केन्द्रों पर पात्रता से कम हो जाएगी।

20. उपज विक्रय हेतु कृषक द्वारा स्लॉट बुकिंग -

20.1 ई-उपार्जन पोर्टल पर पंजीकृत किसानों को अपनी उपज विक्रय हेतु SMS प्राप्त होने का इंतजार करने की आवश्यकता को समाप्त करते हुए कृषक उपज तैयार होने पर विक्रय हेतु उपार्जन केन्द्र एवं उपज विक्रय की दिनांक का चयन स्वयं ई-उपार्जन पोर्टल पर कर सकेंगे जिसकी व्यवस्था निम्नानुसार रहेगी :-

i. प्रत्येक उपार्जन केन्द्र पर सोयाबीन की तौल क्षमता का निर्धारण पोर्टल पर किया जाएगा, जिसके अनुसार प्रति तौलकांटा प्रतिदिन 250 क्विंटल के मान से गणना की गई है।

ii. प्रत्येक उपार्जन केन्द्र पर प्रतिदिन न्यूनतम 1000 क्विंटल उपज की तौल हेतु 4 तौल कांटे आवश्यक रूप से लगाए जाएं एवं उपार्जन केन्द्र पर सोयाबीन की आवक अनुसार तौल कांटों की संख्या में वृद्धि की जाए, जिसकी तत्समय पोर्टल पर प्रविष्टि की जा सकेगी।

iii. कृषक द्वारा दिनांक 20.10.2024 से स्लॉट बुकिंग www.mpeuparjan.nic.in पर की जा सकेगी, इस लिंक की जानकारी SMS के माध्यम से कृषक के मोबाइल पर प्रेषित की जाएगी।

iv. ई-उपार्जन पोर्टल पर पंजीकृत/सत्यापित कृषक द्वारा स्वयं के मोबाइल/एमपी ऑनलाईन/सीएससी/ ग्राम पंचायत/लोक सेवा केन्द्र /इंटरनेट कैफे/उपार्जन केन्द्र से स्लॉट बुकिंग की जा सकेगी। स्लॉट बुकिंग हेतु कृषक के ई-उपार्जन पोर्टल पर पंजीकृत मोबाइल पर ओटीपी प्रेषित किया जाएगा, जिसे पोर्टल पर दर्ज करना होगा।

v. उपार्जन का कार्य सोमवार से शुक्रवार तक किया जाएगा एवं उपज विक्रय हेतु इसी अवधि की स्लॉट बुकिंग की जा सकेगी।

vi. कृषक द्वारा उपज विक्रय हेतु स्लॉट बुकिंग उपार्जन के अंतिम 10 दिवस को छोड़कर की जा सकेगी एवं स्लॉट की वैधता अवधि 7 कार्य दिवस होगी।

vii. कृषक द्वारा उपज विक्रय हेतु तहसील अंतर्गत (जहां कृषक की भूमि है) किसी भी उपार्जन केन्द्र का चयन किया जा सकेगा। कृषक की भूमि एक से अधिक तहसील में स्थित होने पर उनके द्वारा किसी एक तहसील के उपार्जन केन्द्र का चयन किया जा सकेगा, जहां पर पंजीकृत भूमि की उपज का विक्रय किया जा सकेगा।

viii. उपार्जन केन्द्र की तौल क्षमतानुसार लघु/सीमांत एवं बड़े कृषकों को मिलाकर स्लॉट बुकिंग की सुविधा रहेगी जिसमें प्रतिदिन 100 क्विंटल से अधिक विक्रय क्षमता के 4 कृषक तक हो सकेंगे।

ix. स्लॉट बुकिंग के समय पोर्टल पर कृषक की विक्रय योग्य कुल मात्रा प्रदर्शित कराई जाएगी, जिसमें कृषक द्वारा वास्तविक विक्रय योग्य कुल अनुमानित मात्रा की प्रविष्टि करनी होगी, इस मात्रानुसार ही कृषक से उपज की खरीदी की जा सकेगी। इस संबंध में कृषकों को अवगत कराया जाए।

x. पोर्टल पर स्लॉट बुकिंग अनुसार उपार्जन केन्द्र की क्रय योग्य क्षमता घटते क्रम में प्रदर्शित होगी।

xi. निर्धारित दिवस में उपार्जन केन्द्र की तौल क्षमतानुसार स्लॉट बुक होने पर कृषक को आगामी रिक्त क्षमता वाले दिवस हेतु स्लॉट बुक करना होगा।

xii. कृषक द्वारा स्लॉट बुकिंग करने के उपरांत उपार्जन केन्द्र का नाम, विक्रय योग्य मात्रा एवं विक्रय की दिनांक SMS के माध्यम से सूचित की जाएगी तथा इसका प्रिन्ट भी निकाला जा सकेगा।

xiii. कृषक द्वारा विक्रय की जाने वाली संपूर्ण उपज की स्लॉट बुकिंग एक समय में ही करनी होगी आंशिक स्लॉट बुकिंग/आंशिक विक्रय नहीं किया जा सकेगा।

xiv. कृषक द्वारा निर्धारित उपार्जन केन्द्र पर स्लॉट बुकिंग करने के उपरांत अन्य केन्द्र पर कृषक पंजीयन परिवर्तन/स्थानांतरण की सुविधा नहीं होगी।

xv. कृषक को स्लॉट बुकिंग के समय पोर्टल पर आधार लिंक बैंक खाता क्रमांक एवं बैंक का नाम प्रदर्शित कराया जाएगा, जिसमें समर्थन मूल्य पर उपार्जित स्कन्ध का भुगतान किया जाना है। कृषक द्वारा अपनी बैंक की पासबुक से खाते का मिलान कर स्वयं पोर्टल पर सत्यापन करना होगा, उसके उपरांत ही स्लॉट बुकिंग की जा सकेगी। पोर्टल पर प्रदर्शित बैंक खाता त्रुटिपूर्ण होने अथवा अन्य कारणों से कृषक अन्य बैंक खाते में भुगतान चाहे जाने पर कृषक को अपना नवीन बैंक खाता आधार से लिंक कराना होगा, तदुपरांत स्लॉट बुकिंग की जा सकेगी।

21. <u>कृषकों को अपने उपज विक्रय के समय उपार्जन केन्द्र पर जमा किये जाने वाले दस्तावेजो का सत्यापन:-</u>

21.1 आधार कार्ड की प्रति ।

21.2 आधार खाते से लिंक बैंक खाते की बैंक पासबुक से बैंक खाता IFSC एवं शाखा का मिलान।

21.3 समग्र सदस्य आई डी की प्रति (न होने की दशा में PAN CARD की प्रति)

21.4 वनाधिकार पट्टाधारी को पट्टे की प्रति ।

21.5 सिकमीदार किसानों को सिकमी अनुबंध की प्रति ।

21.6 किसान पंजीयन पर्ची का हस्ताक्षरित प्रिन्ट आउट ।

21.7 खसरे/ ऋण पुस्तिका (मोबाईल ऐप से पंजीयन कराने वाले किसानों हेतु)

21.8 जिन कृषकों द्वारा पंजीयन के समय उक्त दस्तावेज उपार्जन समिति को उपलब्ध करा दिए गए हैं, उनकों पुन: दस्तावेज उपलब्ध कराने की आवश्यकता नहीं है।

22. <u>उपार्जन केन्द्र पर उपार्जन के अंतिम दिवस में उपज विक्रय हेतु आने वाले किसानों से खरीदी की प्रक्रिया :-</u>

22.1 कृषक का उपज विक्रय करने हेतु लाने वाले साधन (ट्रेक्टर-ट्राली आदि) के साथ फोटो पोर्टल पर अपलोड कराया जाए।

22.2 उपज की गुणवत्ता की जांच उपार्जन एजेंसी के सर्वेयर से कराई जाएगी।

22.3 कृषक को उपज विक्रय करने हेतु स्लॉट की बुकिंग एवं उसकी वैधता का परीक्षण।

22.4 केन्द्र पर लाई गई उपज का भौतिक सत्यापन राजस्व विभाग के अमले से कराया जाए।

23. किसानों के हित में विभागों / संस्थाओं के मैदानी अमले के माध्यम से कलेक्टर द्वारा की जाने वाली व्यवस्थाऐं :-

23.1 जिला उपार्जन समिति के अध्यक्ष / कलेक्टर द्वारा उपार्जन प्रबंधन स्वयं के नेतृत्व में किया जाएगा। जिला उपार्जन समिति के निर्णय पर कलेक्टर द्वारा हस्ताक्षर किये जाएगें। यह कार्य अन्य अधिकारियों को डेलीगेट नहीं किया जाएगा।

23.2 प्रत्येक उपार्जन केन्द्र हेतु नोडल अधिकारी नामित किया जाएगा , जो उस उपार्जन केन्द्र की गतिविधियों के पर्यवेक्षण हेतु उत्तरदायी होगा।

23.3 FAQ मानक की उपज भारत शासन द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पर जिले की मंडियों में किसी भी स्थिति में विंक्रय न हो , को सुनिश्चित करना।

23.4 मंडी में न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पर विक्रय होने वाली NON FAQ उपज का सेम्पल,कृषक नाम सहित संचिव कृषि उपज मंडी द्वारा मंडी स्तर पर संधारित की जाने वाली पंजी में दर्ज कर सेम्पल सुरक्षित स्थान पर रखा जाकर जिला उपार्जनसमिति को सूचित किया जाए।

23.5 उपार्जन केन्द्र स्थल पर भी NON FAQ उपज के सेम्पल,कृषक के नाम सहित उपार्जन केन्द्र पर संधारित की जाने वाली पंजी में खरीदी/ संस्था प्रभारी द्वारा दर्ज कर सेम्पल सुरक्षित स्थान पर रखा जाकर उपार्जन केन्द्र के नोडल अधिकारी के माध्यम से जिला उपार्जन समिति को सूचित किया जाए तथा जानकारी को सर्वेयर गुणवत्ता ऐप में अनिवार्य रूप से इन्द्राज किया जाए।

23.6 उपार्जन केन्द्र का उपार्जन केन्द्र स्तरीय नोडल अधिकारी, खाद्य, सहकारिता , कृषि एवं कलेक्टर द्वारा निर्देशित अन्य विभागों / संस्थाओं के अनुविभाग / तहसील स्तरीय मैदानी अमले द्वारा गुणवत्ता का सतत पर्यवेक्षण किया जाएगा।

23.7 भारत शासन द्वारा निर्धारित FAQ मापदंड के फ्लेक्स एवं बैनर राष्ट्रीय उपार्जन एजेन्सी द्वारा उपलब्ध कराये जाएगें। उपलब्ध कराये गए बैनर एवं अन्य जानकारियों का फ्लेक्स प्रत्येक ग्राम पंचायतों में लगवाया जाए। उक्त कार्य जिला उपार्जन समिति द्वारा किया जाएगा।

23.8 FAQ गुणवत्ता अनुसार स्कंध उपार्जित करने हेतु प्रोटोकॉल MARKFED द्वारा जारी किया जाएगा।

24. कृषक द्वारा उपार्जन केन्द्र पर विक्रय हेतु लाई गई उपज की तौल प्रक्रिया :-

24.1 उपज विक्रय हेतु कृषक को स्लॉट बुकिंग के माध्यम से नियत तिथि में आने के लिये ही प्रेरित किया जाए तथा इसका व्यापक प्रचार-प्रसार भी किया जाए, जिससे स्लॉट बुकिंग के बिना आने पर अनावश्यक अप्रिय स्थिति निर्मित न हों।

24.2 कृषकों को अनावश्यक प्रतीक्षा न करनी पड़े इस हेतु प्रत्येक केन्द्र पर FACILITATION COUNTER स्थापित किया जाए जो कृषकों को ऑनलाईन कृषक तौल पर्ची एवं तौल का संभावित समय जारी करे तथा

कृषक तौल पर्ची के क्रम में FAQ उपज होने पर तौल करें। कृषक तौल पर्ची में नीचे अंकित कराया जाए यह केवल तौल पर्ची है विक्रय मात्रा के देयक पृथक से समिति से प्राप्त किए जाएं।

24.3 कृषक / नॉमिनी द्वारा समर्थन मूल्य पर विक्रय हेतु लाई गयी उपज को केन्द्र पर सर्वप्रथम कृषक तौल पर्ची जारी की जाएगी जिसमें अनुमानित मात्रा एवं वाहन का प्रकार की प्रविष्टि की जाएगी । स्कंध NON FAQ होने की दशा में स्कंध की साफ-सफाई, गुणवत्ता परीक्षणएवं FAQ स्कंध की तौल उपरांत देयक जारी किया जाएगा।

24.4 ई-उपार्जन पोर्टल पर उपार्जन केन्द्र के लॉग इन से खरीदी की प्रविष्टि के समय विक्रेता कृषक / नॉमीनी एवं उपार्जन केन्द्र के प्रभारी के आधार ईकेवायसी (OTP / बायोमेट्रिक) सत्यापन के उपरांत ही स्कंध खरीदी मात्रा की प्रविष्टि एवं खरीदी देयक जारी होगा। इसके उपरांत ही कृषक से उपज की खरीदी मान्य होगी।

24.5 प्रतिदिन उपार्जन प्रारंभ करने के पूर्व प्रथम कृषक से समक्ष तौल-कांटे के सही होने की पुष्टि स्वरूप 100 ग्राम एंव 50 किलोग्राम के बांट से सत्यापन कर प्रथम कृषक एवं अन्य दो कृषकों के हस्ताक्षर एक रजिस्टर में उपार्जन संस्था द्वारा प्रतिदिन कराया जाएगा।

24.6 किसानों से निर्धारित मानक बोरा अनुसार ही उपज तौलकर प्राप्त की जाए, निर्धारित मात्रा से (50 किलो+बारदाना वजन) से अधिक बोरे में उपज की तौल कदापि न की जाए ।

24.7 सोयाबीन तौल हेतु SBT नये जूट बोरे में मानक भर्ती की जाएगी।

24.8 प्रत्येक बोरे पर नियत रंग से निर्धारित प्रारूप में स्टेसिंल लगायी जाएगी ।

24.9 प्रत्येक बोरे पर केन्द्र का नाम (केन्द्र के कोड एवं वर्ष सहित) एवं किसान के पंजीयन क्र. अमिट स्याही से नम्बर अंकित करने वाली सील से किसान पंजीयन क्र. प्लास्टिक स्लिप 3*4 इंच पर अंकित की जाकर धागे से आधी अंदर आधी बाहर सिलाई की जाएगी, जिससे पहचान हो सके, कि कौन से बोरे में किस कृषक का स्कंध है।

24.10 बारदानों की विद्युत चलित मशीन से नियत रंग के धागे से डबल सिलाई की जाए ।

24.11 तौल एवं सिलाई के उपरांत कृषकवार उपार्जन केन्द्र पर स्टेकिंग इस प्रकार की जाए की परिवहन करते समय यथा संभव ट्रक में कृषक का पूरा माल आ सकेएवं परिवहन करते समय यह प्रयास किया जाए कि जिस किसान का स्कंध पहले तौला गया है उसका परिवहन FIFO का पालन करते हुए पहले किया जाए इस हेतु सॉफ्टवेयर में प्रावधान किया जाएगा ।

24.12 किसानों द्वारा विक्रय की गई उपज की कम्प्यूटराईज्ड प्रिन्टेड रसीद (डबल कापी) केन्द्र प्रभारी द्वारा आनलाईन जारी कर अपने हस्ताक्षर किए जाएगे, जिसकी एक प्रति संस्था द्वारा रखी जाएगी तथा दूसरी कृषक को दी जाएगी । किसान को उसके पंजीकृत मोबाईल पर SMS के माध्यम से भी इसकी सूचना दी जाएगी ।

24.13 किसान को एक बार रसीद जारी होने के उपरांत उसमें किसी प्रकार का संशोधन स्थानीय स्तर पर मान्य नहीं होगा। खरीदी प्रभारी द्वारा डे- क्लोजर रिपोर्ट पर डिजिटल हस्ताक्षर करते समय पुष्टि कर ली जाए कि किसान से उपार्जित स्कंध की सही प्रविष्टि कर रसीद जारी की गई है।

24.14 प्रतिदिन केन्द्र प्रभारी द्वारा निर्धारित 'DAY CLOSURE PROTOCOL' अनुसार READY TO TRANSPORT (R2T), READY TO ISSUE (R2I) तथा बारदाना संबंधी आवश्यक सूचनाए अनिवार्यत: ONLINE इन्द्राज की जाएगी।

25. उपार्जन केन्द्र के डाटा एन्ट्री ऑपरेटर द्वारा उपार्जन केन्द्र पर कम्प्यूटरीकृत प्रणाली से उपार्जन प्रक्रिया की ऑनलाईन प्रविष्टियों संबंधी व्यवस्था :-

25.1 कृषकों को कृषक तौल पर्ची देना

25.2 कृषकों की तौल पत्रक एवं पावती जारी करना।

25.3 R2T एवं DAY CLOSURE PROTOCOL में इंद्राजी करना।

25.4 R2T तथा परिवहन चालान (TC) जारी करना (जिसमें जारी दिनांक भी प्रदर्शित कराई जाएगी।

25.5 बारदाना का लेखा-जोखा रखना तथा

25.6 उपार्जन केन्द्र पर स्कंध तौलकर परिवहनकर्ता को सौंपना

25.7 केन्द्र स्तर के समस्त व्यय यथा- कृषक भुगतान प्रासंगिक व्यय, कमीशन से किये जाये।

25.8 कैशबुक की दैनिक एन्ट्री तथा प्रक्रिया समाप्ति पर दावे जारी करना।

26. उपार्जन केन्द्र पर उपार्जित स्कंध का सुरक्षित एवं व्यवस्थित तकनीकी भंडारण :-

26.1 उपार्जन केन्द्र पर स्कंध के स्टेक नहीं लगाये जाने पर असामयिक वर्षा से स्कंध के खराब होने पर संपूर्ण उत्तरदायित्व उपार्जन समिति का होगा।

26.2 उपार्जन समिति द्वारा मानक आकार 30'*20 'के स्टेक पर रेत की बोरी /ईट/सीमेंट ब्लॉक/वुडन क्रेटस/पॉलीप्लेट आदि का बेस बनाना होगा। जिससे स्कंध में नमी न आए।

26.3 आवश्यक ड्रेनेज, केप कवर, रस्सी एवं त्रिपाल आदि की व्यवस्था भी रखनी होगी जिससे स्कंध को असामयिक वर्षा एवं लम्बे भंडारण हेतु सुरक्षित रखा जा सकेगा।

26.4 प्रत्यके सिले हुए बोरों को अस्थायी भंडारण हेतु थप्पी लगाकर निर्धारित ऊचांई का स्टेक बनाना होगा वाहन में इसी स्टेक से ट्रक लदाई की जाएगी। प्रशिक्षणों में संस्थाओं को इसका प्रशिक्षण दिया जाएगा।

26.5 उपार्जन केन्द्र पर स्कंध के अस्थाई भंडारण हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित भंडारण शुल्क के भुगतान हेतु समितियों को संधारित किए जाने वाले दस्तावेज की प्रक्रिया के निर्धारण के लिए प्रबंध संचालक मार्कफेड द्वारा पृथक से निर्देश जारी किए जाएंगे।

26.6 उपार्जन के दौरान असमायिक वर्षा एवं ओला वृष्टि से उपार्जित मात्रा की सुरक्षा एवं उसके बचाव हेतु पर्याप्त व्यवस्था उपार्जन समिति द्वारा की जावे , अन्यथा उपार्जित मात्रा को असामयिक वर्षा एवं ओला वृष्टि से हुई क्षति की सम्पूर्ण जवाबदारी उपार्जन समिति की होगी ।

27. उपार्जन केन्द्र पर बारदाना उपलब्धता एवं उपयोग :-

27.1 सोयाबीन की भर्ती हेतु पूर्व वर्षों के उपलब्ध नये SBT बारदाने का स्टेंटडर्ड वजन 580 ग्राम एवं रबी वर्ष 2023-24 (विपणन वर्ष 2024-25) में जिले में प्राप्त नया SBT बारदाने का स्टेंटडर्ड वजन 530 ग्राम मानक के अनुसार 50 कि.ग्राम स्टेंटडर्ड वजन में भर्ती की जाएगी।

27.2 खरीदी केन्द्रों को बारदाने प्रदाय करने की संभावित तिथि ई-उपार्जन पोर्टल पर DMMPSCSC/DMO login से दर्ज करने की व्यवस्था की जाएगी।

27.3 प्रत्येक केन्द्र पर उपार्जन आरंभ होने के दो दिवस पूर्व तक 10 दिन की अनुमानित उपार्जन मात्रा के अनुरूप बारदाने अग्रिम रूप से केन्द्र को उपलब्ध कराए जाएगे।इसमें केन्द्र द्वारा सूचित पूर्व से उपलब्ध बारदानों की संख्या सम्मिलित रहेंगी। इसके उपरांत प्रत्येक शनिवार को सभी केन्द्रो पर आगामी 07 दिवस की अनुमानित खरीदी के आधार पर बारदाने उपलब्ध कराये जाएगे।

27.4 उपार्जन केन्द्र से बाहर किसी भी व्यक्ति/संस्था को बारदानें संस्था द्वारा दिये जाने पर उनके विरूद्ध वसूली एवं आर्थिक दंड के साथ-साथ सक्षम अधिकारी द्वारा दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

27.5 यदि बगैर स्टेंसिल/टैंग/पंजीयन क्र. अंकित किए भरे हुए बोरे गोदाम पर लाए जाए, तो वह उपार्जन/भंडारण एजेन्सी द्वारा अग्राह किए जाऐंगे इस हेतु संबंधित उपार्जन केन्द्र की उपार्जन समिति उत्तरदायी होगी, जिसके व्ययों की कटोत्री उपार्जन समिति को देय राशि से की जा सकेगी। साथ ही बगैर स्टेंसिल एवं टैग लगे बोरे परिवहनकर्ता द्वारा स्वीकार कर परिवहन हेतु भंडारण स्थल पर लाए जाने की दशा में इसकी पेनाल्टी परिवहनकर्ता पर लागू की जाएगी।

28. गोदाम स्तरीय उपार्जन केन्द्रों पर गुणवत्ता प्रभारियों का नियोजन एवं पर्यवेक्षण:-

28.1 राष्ट्रीय उपार्जन एजेंसी द्वारा गोदाम स्तरीय उपार्जन केन्द्र स्तर पर गुणवत्ता जांच हेतु पर्याप्त संख्या में गुणवत्ता सर्वेयर नियोजित कर उपलब्ध कराये जाएगें जिससे उपार्जित स्कंध के भंडारण करने के पूर्व गुणवत्ता परीक्षण किया जा सके। जिला स्तर पर मैदानी जांच हेतु अतिरिक्त रूप से गुणवत्ता सर्वेयर को नियोजित कर उपलब्ध कराना । इस पर होने वाले व्यय को राष्ट्रीय उपार्जन एजेन्सी द्वारा वहन किया जाएगा ।

28.2 इसके साथ-साथ जिलों की उपार्जन मात्रा के अनुसार उपार्जन एजेंसी के द्वारा कलेक्टर (जिला उपार्जन समिति) को अतिरिक्त रूप से गुणवत्ता निरीक्षक / सर्वेयर उपलब्ध कराये जाएगें जिनकों जिला उपार्जन समिति जिले में उपार्जन के दौरान गुणवत्ता परीक्षण के प्रयोजन हेतु उपयोग कर सकेगी । सर्वेयर की सेवाऐं उपार्जन प्रारंभ होने के एक सप्ताह पूर्व ली जाए ताकि उनकों गुणवत्ता जांच का प्रशिक्षण दिया जा सके, जिसका व्यय राष्ट्रीय उपार्जन एजेन्सी द्वारा वहन किया जाएगा ।

28.3 गुणवत्ता सर्वेयर द्वारा किसी भी प्रकार की अनियमितता किये जाने पर जिला उपार्जन समिति द्वारा आउटसोंसिंग एजेन्सी , सुपरवाइजर एवं सर्वेयर पर वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी।

29. उपार्जन केन्द्र स्तर पर गुणवत्ता प्रभारियों का नियोजन एवं पर्यवेक्षण :-

29.1 उपार्जन केन्द्र की उपार्जन समिति द्वारा उपार्जन केन्द्र गोदाम परिसर से इतर स्थापित केन्द्रो पर गुणवत्ता की जांच हेतु प्रभारी व्यक्ति नामांकित/ नियोजित किया जाएगा, जिसका व्यय संबंधित उपार्जन केन्द्र की उपार्जन समिति को दिये जाने वाले कमीशन पर भारित होगा।

29.2 संस्था द्वारा गुणवत्ता परीक्षण हेतु नियोजित/नामित व्यक्ति गुणवत्ता प्रभारी कहलाएगा।

29.3 गोदाम स्तरीय उपार्जन केन्द्रों के गोदामों पर उपार्जन एजेन्सी द्वारा उपज की गुणवत्ता परीक्षण हेतु नवीन तकनीक का उपयोग भी किया जा सकेगा।

29.4 गुणवत्ता प्रभारी अथवा परीक्षक को गुणवत्ता के मापदंड तथा गुणवत्ता संबंधी मोबाईल ऐप के बारे में प्रशिक्षित होना अनिवार्य होगा ।

29.5 यदि उपार्जन केन्द्र प्रभारी को ही गुणवत्ता परीक्षक का कार्य दिया जाता है तो केन्द्र प्रभारी को एक ही कार्य का मानदेय दिया जा सकेगा, दोहरा मानदेय देय नहीं होगा।

29.6 गुणवत्ता परीक्षण हेतु नामित कर्मचारियों के नाम एवं मोबाईल नंबर पोर्टल पर दर्ज कराए जाएंगे। गुणवत्ता नियंत्रण की चैकिंग तथा गुणवत्ता प्रभारी की जानकारी को ई- उपार्जन साफ्टवेयर से इंटीग्रेट की जाएगी । प्रत्येक सप्ताह की जिला एवं राज्य उपार्जन समितियों की बैठकों में इसकी समीक्षा की जाएगी कि प्रत्येक स्तर पर सही तकनीकी उपकरण एवं प्रशिक्षित अमला उपलब्ध हो।

29.7 गुणवत्ता प्रभारी द्वारा किए गए स्कंध के गुणवत्ता परीक्षण से केन्द्र प्रभारी सहमत नहीं होने पर उपखंड स्तरीय उपार्जन समिति द्वारा विवाद का निराकरण किया जाएगा, इस हेतु साफ्टवेयर में प्रावधान भी किया जाए।

29.8 उपार्जन केन्द्र पर किसान के उपज की गुणवत्ता की जांच सर्वेयर द्वारा की जाएगी एवं FAQ मानक की उपज पाए जाने पर ही कृषक तौल पर्ची जारी होगी तदुपरांत उपज की तुलाई हो सकेगी। सर्वेयर ऐप से गुणवत्ता परीक्षण की प्रक्रिया निम्नानुसार रहेगी:-

i. गुणवत्ता परीक्षण उपरांत सर्वेयर एप में दर्ज परिणामों के आधार पर स्कंध नॉन एफएक्यू पाये जाने पर उसी स्कंध का 48 घंटे उपरांत पुन: परीक्षण किया जा सकेगा।

ii. स्कंध परीक्षण उपरांत पाई गई स्थिति को सर्वेयर एप में दर्ज करने पर नान एफएक्यू स्कंध पाये जाने पर संबंधित कृषक को SMS के माध्यम से सूचना देने की व्यवस्था बनाई जाएगी।

iii. गुणवत्ता सर्वेयर एप में सर्वेयर द्वारा स्कन्ध के परीक्षण के समय उपलब्ध अनुमानित मात्रा, वाहन का प्रकार एवं नंबर प्रविष्ट करने का प्रावधान किया गया है।

iv. सर्वेयर एप में FAQ norms के साथ पुराने एवं कीटग्रस्त स्कन्ध की जानकारी दर्ज की जाए एवं जो Non FAQ श्रेणी में मान्य होगा।

v. समिति स्तर पर स्थापित उपार्जन केन्द्रों पर जिला स्तर से ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी को गुणवत्ता परीक्षण हेतु ड्यूटी कलेक्टर द्वारा लगाई जा सकेगी।

vi. जिन मापदण्डों पर स्कंध का रिजेक्शन किया गया है, उसकी रिपोर्ट किसानवार ई-उपार्जन पोर्टल पर प्रदर्शित कराई जाएगी।

vii. Non FAQ स्कन्ध के रिजेक्शन होने के कारणों एवं पैरामीटर्स की जानकारी पोर्टल पर प्रदर्शित कराई जाएगी ताकि जिसे किसान एवं समिति द्वारा देखी जा सके।

viii. गोदाम स्तरीय उपार्जन केंद्र/गोदाम स्तर से इतर उपार्जन केंद्र पर उपार्जन केंद्र की समिति द्वारा उपार्जित स्कन्ध की पृथक-पृथक कृषकवार तौल की जाकर नियत धागे से किसान पंजीयन क्र. अंकित किए हुए टैग के साथ पैकिंग की जाएगी। किसी भी दशा में एक से अधिक कृषकों का स्कन्ध पाला कर पैकिंग का कार्य नहीं किया जाएगा। उपार्जन केंद्र पर एक से अधिक कृषक का पाला किया स्कन्ध पाए जाने पर ऐसे सम्पूर्ण स्कन्ध को रिजेक्ट किया जाकर संबंधित उपार्जन केंद्र की उपार्जन समिति एवं गोदाम स्तरीय उपार्जन केंद्र होने की दशा में संबंधित गोदाम संचालक भी उत्तरदायी रहेंगे।

ix. उपार्जन केंद्र पर किसान के उपज की गुणवत्ता संबंधी जांच सर्वेयर द्वारा की जाती है। किसान द्वारा उपार्जन केंद्र पर ट्रॉली में लाए गए स्कन्ध की जांच में FAQ पाए जाने के पश्चात स्कन्ध की अनलोडिंग के समय निचली सतह पर NON FAQ स्कन्ध पाए जाने की दशा में ऐसे स्कन्ध का अपग्रेडेशन कृषक को स्वयं के व्यय पर कराया जाना होगा।

29.9 उपार्जन केन्द्रों पर परीक्षण में पाए गए NON FAQ स्कंध को अपग्रेड करने हेतु custom hiring center पर उपलब्ध साधनों द्वारा स्कंध को अपग्रेड की सुविधा कृषि विभाग से समन्वय कर जिला उपार्जन समिति कर सकेगी, जिस पर होने वाला व्यय कृषक द्वारा वहन किया जाएगा ।

29.10 उपार्जन केन्द्र स्तर पर संस्थाओं को मैकेनाईज्ड सफाई, बेगिंग एवं हेण्डलिंग की व्यवस्था बनाने हेतु प्रोत्साहित किया जाए इस हेतु कस्टम हायरिंग सेवाओं का उपयोग हेतु कृषि विभाग से समन्वय कर सकते है।

29.11 श्रमिकों की सीमित उपलब्धता के कारण उपार्जित स्कंध के हेण्डलिंग में आने वाली कठिनाई को दृष्टिगत रखते हुए गोदाम स्तर पर स्थापित उपार्जन केन्द्रों पर मेकेनाईज्ड हेण्डलिंग की व्यवस्था बनाने का प्रयास किया जाए जिससे अकुशल श्रमिकों पर निर्भरता कम हो सके एवं कार्य को अर्द्ध/ कुशल श्रमिकों पर शिफ्ट किया जा सके।

29.12 उपार्जन एजेन्सी द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण हेतु सर्वेयर एवं उपार्जन के दौरान स्वीकृति पत्रक जारी करने व अन्य कार्यों के लिये डाटा एन्ट्री ऑपरेटर एवं अन्य आवश्यक मानव संसाधन की सेवाऐं नियमानुसार ली जा सकेंगी।

29.13 जिला स्तर पर स्कंध का गुणवत्ता परीक्षण में किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में स्कंध सेम्पल का द्वितीय परीक्षण FCI की प्रयोगशाला में कराया जा सकेगा, इस हेतु जिलों की मेपिंग प्रयोगशाला से की जाएगी।

29.14 गुणवत्ता एवं नियंत्रण संबंधी प्रावधानों, तकनीकी उपकरणों की उपलब्धता, सर्वेयर के नियोजन की नियमित समीक्षा एवं पर्यवेक्षण का दायित्व जिला / राज्य उपार्जन समिति का होगा।

29.15 सोयाबीन के उपार्जन में निर्धारित एफ. ए. क्यू. मानको की पुष्टि हेतु गुणवत्ता का परीक्षण मोबाईल एप के माध्यम से कराने की व्यवस्था की जा रही हैं। उसके आधार पर गुणवत्ता नियंत्रण हेतु उपज का परीक्षण कराया जाए, इस हेतु सर्वेयर को प्रशिक्षण दिया जाए तथा FAQ हेतु मोबाईल एप डाउनलोड कर उक्त एप से उपज के एफ. ए. क्यू. के सभी मानक प्राप्त किए जाए, ताकि NON FAQ की मात्रा की जानकारी एप के माध्यम से प्राप्त हो सके। इसके लिए पृथक से विस्तृत निर्देश जारी किए जा रहे हैं।

30. FAQ मापदंड की खरीदी हेतु गुणवत्ता नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण हेतु जिला एवं संभाग स्तर से की जाने वाली व्यवस्थाऐं :-

30.1 जिला स्तर पर कृषि, खाद्य, सहकारिता, उपार्जन एजेन्सी एवं जिला सहकारी बैंक अधिकारियों द्वारा साप्ताहिक, आकस्मिक निरीक्षण करना एवं प्रतिवदेन जिला उपार्जन समिति के समक्ष अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना।

30.2 कृषि, खाद्य, सहकारिता, उपार्जन एजेन्सी के संभागीय अधिकारियों द्वारा संभाग के जिलों में उपार्जन केन्द्रों का सप्ताहिक, आकस्मिक निरीक्षण करना एवं प्रतिवेदन संभाग स्तरीय उपार्जन समिति के समक्ष अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना।

30.3 मुख्यालय स्तर से राज्य स्तरीय निरीक्षण दलों का गठन किया जाना एवं गठित दलों द्वारा आवंटित जिलों में सतत पर्यवेक्षण करना तथा रिपोर्ट राज्य उपार्जन एजेन्सी के माध्यम से राज्य स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुत करना।

30.4 जिन जिलों में खरीदी मात्रा अप्रत्याशित रूप से अधिक होने, NON FAQ स्कंध क्रय करने की शिकायतें प्राप्त होने एवं अधिक उपार्जन मात्रा वाले जिलों में विशेष निरीक्षण हेतु शासन द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारियों के माध्यम से निरीक्षण की व्यवस्था शासन द्वारा की जाएगी , इस हेतु संचालक (कृषि) द्वारा राज्य उपार्जन एजेन्सी से प्राप्त प्रस्ताव अनुरूप समुचित आदेश सामान्य प्रशासन विभाग से जारी कराये जाएगें।

30.5 सभी राज्य, संभाग, जिला, विकास खंड एवं उपार्जित केन्द्र स्तरों से APP के माध्यम से निरीक्षण/ पर्यवेक्षण की व्यवस्था बनाई जाए।

30.6 जिला एवं विकास खंड स्तरीय समिति द्वारा उपार्जन केन्द्र पर गुणवत्ता विवाद निराकरण में उपार्जित स्कंध FAQ पाए जाने पर FAQ मापदंड सर्वेयर ऐप में दर्ज करने की व्यवस्था बनाई जाएगी।

30.7 NON FAQ स्कंध को रिजेक्ट कर उपार्जन समिति के माध्यम से कृषक को पंखा / छन्ना के माध्यम से अपग्रेड करने हेतु समझाईस देना एवं आमान्य उत्पाद का सेंपल रखना।

30.8 जिला एवं विकास खंड स्तरीय समिति द्वारा उपार्जन केंन्द्र पर गुणवत्ता विवाद निराकरण में स्कंध FAQ पाये जाने पर उसके मापदंड सर्वेयर APP में दर्ज करने की व्यवस्था बनाई जाएगी।

30.9 NON FAQस्कंध उपार्जन करने की दशा में प्रथम दायित्व उपार्जन केन्द्र की उपार्जन समिति एवं उपार्जन केन्द्र प्रभारी के साथ –साथ उपार्जन समिति के गुणवत्ता परीक्षक का होगा।

30.10 NON FAQ स्कंध के अपग्रेडेशन, निस्तारण, कृषकों के भुगतानं , घटती एवं वसूली की प्रक्रिया निर्धारण के संबंध में समुचित निर्देश आयुक्त सहकारिता द्वारा जारी किये जाएगे। सहकारिता विभाग द्वारा जारी निर्देश के अनुक्रम में ई-उपार्जन पोर्टल पर प्रक्रिया का निर्धारण संचालक (कृषि) द्वारा की जाएगी तथा जिला उपार्जन समिति द्वारा उसकी साप्ताहिक समीक्षा की जावेगी।

31. गुणवत्ता नियंत्रण हेतु जिला स्तरीय व्यवस्था :-

31.1 उपार्जन केन्द्र पर भारत शासन द्वारा निर्धारित FAQ मापदंड के अनुरूप उपार्जन करने का दायित्व संबंधित उपार्जन केन्द्र की उपार्जन समिति/ संस्था का रहेगा। FAQ स्कंध उपार्जन करने हेतु उपार्जन समिति/ संस्था से निम्न कार्यवाही अपेक्षित है:-

I. किसानों के हित में समर्थन मूल्य एवं FAQ मापदंड का संस्था स्तर से कृषकों के मध्य व्यापक प्रचार-प्रसार करना।

II. किसानों को उपार्जन केन्द्र पर विक्रय हेतु लाई जाने वाली सूखी, साफ एवं छन्ना लगी हुई लाने हेतु प्रेरित करना।

III. उपार्जन केन्द्र पर यथा संभव FAQ मापदंड अनुरूप उपार्जित की जाने वाली फसल का नमूना प्रदर्शित करना।

IV. भारत शासन द्वारा निर्धारित FAQ मापदंड संबंधी बैनर का प्रदर्शन उपार्जन केन्द्र पर उचित स्थान पर करना।

V. उपार्जन केन्द्र पर कृषकों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए मेकेनिकल ग्रेडिंग मशीन (ग्रेडर), बड़े छन्ने, पंखे एवं FAQ जांच किये जाने संबंधी उपकरण उपार्जन केन्द्र की अनुमानित उपार्जित मात्रा के अनुरूप व्यवस्था रखना।

VI. प्रत्येक उपार्जन केन्द्र हेतु प्रशिक्षित एवं योग्य गुणवत्ता परीक्षक नियोजित/ नामित किया जाकर उपार्जन केन्द्र पर गुणवत्ता परीक्षक की उपस्थिति सुनिश्चित रखना।

VII. गुणवत्ता सर्वेयर ऐप में गुणवत्ता परीक्षक/सर्वेयर/प्रभारी का नाम, मोबाइल नम्बर को पंजीकृत करना।

VIII. उपार्जन केन्द्र पर कृषकों द्वारा लाई गयी NON FAQ उपज रिजेक्ट कर कृषक को अपग्रेड करने हेतु समझाइस देना, उपार्जन केन्द्र पर उपलब्ध ग्रेडिंग उपकरणों के माध्यम से अपग्रेडिंग कार्य कृषक के व्यय पर कराया जाना एवं अपग्रेडेशन कार्य उपरांत लाई गयी उपज FAQ पाए जाने की दशा में ही उपार्जित की जाए।

IX. रिजेक्ट / आमान्य स्कंध का नमूना कृषक के विवरण के साथ निर्धारित पंजी में प्रविष्टियां की जाकर नमूने को सुरक्षित स्थान पर रखना। ताकि आवश्यकता होने पर नमूने का अवलोकन वरिष्ठ अधिकारियों को कराया जाए।

32. गोदाम स्तर पर केन्द्र प्रभारी द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण बावत की जाने वाली कार्यवाही :-

32.1 परखी लगाकर क्वालिटी चेक तथा NON FAQ क्वालिटी होने पर रिकार्ड करते हुए पृथक भंडारण तथा संबंधित उपार्जन एजेंसी / समिति को सूचना दी जाए।

32.2 गोदाम /केप स्तर पर परीक्षण में पाए गए NON FAQ स्कंध कीप्रविष्टिं ई-उपार्जन पोर्टल पर करने की व्यवस्था बनाई जाएगी , जिस पर केन्द्र प्रभारी द्वारा जानकारी प्रविष्ट की जाए।

32.3 बोरों पर निर्धारित स्याही से समिति का नाम, कोड स्क्रीन प्रिंटिंग से अंकित न होने पर परिवहनकर्ताओं को वापस करना एवं उत्पाद को प्राप्त न करना।

32.4 बोरों की सिलाई व टैंगिग निर्धारित धागों से हुई है। बोरों का वजन सहीं रिकार्ड हो तथा

32.5 बिना स्टेंसिल , स्लिप(टेग) एवं संस्था कोड सील न लगे हुए बोरे गोदाम पर ग्राह्य न किये जाए।

33. गुणवत्ता नियंत्रण हेतु विशेष सावधानियां :-

निम्न स्तरीय मिलावट की जाकर एवं निम्न स्तरीय स्कंध उपार्जन केन्द्र पर विक्रय हेतु लाए जाने की स्थिति में कड़ाई से गुणवत्ता पर नियंत्रण रखा जाकर ऐसे स्कंध के अपग्रेडेशन हेतु मेकेनाईज्ड व्यवस्था उपार्जन केन्द्र पर सुनिश्चित किया जाए। अपग्रेडेशन प्रक्रिया अंतर्गत अपशिष्ट पदार्थ (Waste Material)को बोरो में भर कर नही रखा जाए।

34. तौल एवं परिवहन की प्रक्रिया:-

34.1 इलेक्ट्रॉनिक तौल कांटो के प्रमाणीकरण की व्यवस्था :-

a. नियंत्रक नाप तौल द्वारा इलेक्ट्रॉनिक तौल कांटों के मानक,केलिब्रेशन तथा प्रमाणीकरण के सिद्धांत निर्धारित कर जिलों को निर्देश जारी किये जाएगें । नियंत्रक, नापतौल द्वारा सभी मंडियों, उपमंडियों उपार्जन केन्द्रों एवं भंडारण केन्द्रों के नापतौल उपकरणों तथा धर्म-कांटो का सत्यापन एवं प्रमाणीकरण कार्य नापतौल विभाग के कार्यपालिक अमले से कराया जाएगा ।

b. धर्म- कांटे का केलिब्रेशन करने के उपरांत धर्म-कांटें का सीपीयू सील किया जाएगा । कृषकों की उपार्जित की जाने वाली एवं परिवहन की जाने वाली तौल के संबंध में शिकायत प्राप्त होने पर उपार्जन केन्द्र प्रभारी की उपस्थिति में धर्म-कांटे की जांच नापतौल विभाग के जिले में पदस्थ अमले द्वारा करायी जाएगी । इस बावत् समुचित निर्देश जिलों को जारी किये जाए।

c. इलेक्ट्रॉनिक तौल कांटों एवं संबंधित धर्म-कांटों के सत्यापन एवं प्रमाणीकरण का कार्य उपार्जन प्रारंभ होने के एक सप्ताह पूर्व पूर्ण कराकर " E-UPARJAN पोर्टल पर दर्ज कराया जाएगा "

d. धर्म-कांटों की GEO LOCATION भी PMU द्वारा निर्धारित IT TOOLS में ली जाएगी। धर्म-कांटों पर ट्रक के वजन को E-UPARJAN PORTAL / MOBILE APP से लिंक करने हेतु आवश्यक व्यंवस्था की जाएगी ।

e. परिवहन प्रक्रिया, निविदा आदेश, चालान एवं भुगतान को पूर्णत : ऑनलाईन करने के उद्देश्य से संचालक (कृषि) द्वारा TIMELINE सहित विस्तृत TRANSPORATION PROTOCOL PMU में MPWLC एवं प्रबंध संचालक MARKFED के परामर्श उपरांत जारी किया जाएगा , जिससे समस्त प्रणाली में साम्यता रहें।

f. गोदाम स्तरीय केन्द्रों में हैण्डलिंग एवं मूवमेंट अनुबंधित परिवहनकर्ता अथवा गोदाम स्वामी अथवा संस्था के द्वारा किया जा सकेगा, जिसके लिए वे डेडिकैटेड वाहन एवं हैंडलिंग टीम उपलब्ध कराएंगे। इस हेतु दर प्राप्त करने की प्रक्रिया उपार्जन एजेन्सी द्वारा तय की जाएगी ।

g. परिवहन आदेश उपार्जन केन्द्र पर उपलब्ध R2T मात्रा के घटते क्रम किये जाए एवं तदनुसार न्यनूतम एक ट्रक लोड स्कंध उपलब्ध होनें वाले उपार्जन केन्द्रों पर अनुपातिक रूप से ट्रक भेजे जाए ताकि सभी उपार्जन केन्द्रों से स्कंध का उठाव सुनिश्चित किए जा सके।

h. हैण्डलिंग – SOR परिवहन दरों का निर्धारण करने पर उपार्जन केन्द्र से स्कंध की लोडिंग एवं गोदाम स्तर पर अनलोडिंग की प्रक्रिया :-

i. केन्द्र पर संस्था/गोदाम स्वामी/परिवहनकर्ता द्वारा पर्याप्त हम्मालों की व्यवस्था हैण्डलिंग (लोडिंग/अनलोडिंग) हेतु की जाएगी। संस्था/गोदाम स्वामी/परिवहनकर्ता द्वारा वाहन आने के 3 घंटे में उसकी लदाई व उतराई पूर्ण कर रवाना करना होगा जिससे ट्रकों का टर्न-राउंड टाईम बढ़ाया जा सके । स्कंध की लोडिंग में निम्न चरण मान्य किए गए है:-

(1) जिन उपार्जन केन्द्र को धर्म कांटे से तौल की छूट दी गई है उन प्रकरणों के अतिरिक्त उपार्जन केन्द्र से स्कंध धर्म कांटे से तौल कर परिवहनकर्ता को दिये जाना अनिवार्य होगा । इसके लिए उपार्जन समिति एवं परिवहनकर्ता के लॉगिन में ट्रक चालान के विरूद्ध धर्मकांटे की पर्ची की प्रविष्टि कर प्रावधान किया जाएगा । यदि किसी ट्रक चालान के विरूद्ध धर्मकांटे की पर्ची की प्रविष्टि नहीं की जाती है तो उस स्थिति में उस ट्रक चालान के लिए उपार्जन समिति का कमीशन एवं परिवहनकर्ता को देय राशि का भुगतान जानकारी प्रविष्टि होने तक नहीं किया जाएगा ।

(2) केन्द्र पर अस्थाई भंडारण स्टेक से बोरों की 50 किलो भर्ती के सत्यापन सेम्पल चेक से वाहन स्वामी के प्रतिनिधि को अवगत कराना । धर्मकांटा मैप्ड न होने पर संस्था प्रत्येक बोरे को इलेक्ट्रॉनिक तौल-कांटे से तौलकर स्कंध दिया जाएगा ।

(3) परिवहनकर्ता को डिजिटल ट्रांसपोर्ट चालान मय तौल विवरण के दिया जाएगा जिसकी एक प्रति संस्था के पास, दूसरी प्रति परिवहनकर्ता एवं तीसरी प्रति परिवहनकर्ता को भंडारण केन्द्र पर जमा कराने हेतु दी जाएगी।

(4) धर्मकांटे/समिति) द्वारा शत-प्रतिशत तौल को ही स्कंध के वजन हेतु अंतिम माना जाएगा, यदि किसी कारण वश उपार्जन केन्द्र की उपार्जन समिति/संस्था द्वारा परिवहनकर्ता को स्कंध तौल कर ट्रक में लोड नहीं किये जाने की दशा में गंतव्य जमा स्थल पर तौल में पाई गयी मात्रा को अंतिम माना जाएगा एवं उसमें आई कमी के लिए संबंधित उपार्जन समिति उत्तरदायी रहेगी।

(5) उपार्जन केन्द्र से उपार्जन समिति द्वारा तौल कर स्कंध दिये जाने की दशा में गंतव्य जमा स्थल पर कमी आने की दशा में संबंधित परिवहनकर्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी रहेंगे।

(6) निर्धारित लोडिंग व्यय का भुगतान संस्था/गोदाम स्वामी/परिवहनकर्ता को JIT के माध्यम से किया जाएगा। JIT के माध्यम से भुगतान न हो पाने की दशा में संस्था/गोदाम स्वामी/परिवहनकर्ता को भुगतान ऑफलाईन राज्य उपार्जन एजेन्सी द्वारा किया जा सकेगा ।

35. <u>स्कंध की अंनलोडिंग में निम्न चरण मान्य किए गए है:-</u>

35.1 उपार्जन एजेंसी गोदाम स्तर पर स्कंध के अनलोडिंग का कार्य निविदा के माध्यम से परिवहनकर्ता/संस्था/गोदाम स्वामी से निर्धारित दर पर करा सकेगी ।

35.2 अनलोडिंग के समय उपज की मैप्ड धर्मकांटे से तौल कराकर प्राप्त किया जाएगा ।

35.3 समिति द्वारा तौलकर स्कंध देने पर गोदाम स्तर की तौल में कमी पाए जाने पर उसके लिए परिवहनकर्ता जिम्मेदार होगा ।

35.4 उपज की गुणवत्ता की जांच राष्ट्रीय उपार्जन एजेंसी के गुणवत्ता सर्वेयर द्वारा की जाएगी

35.5 FAQ स्कंध गोदाम में समितिवार स्टेकिंग के रूप में भंडारित किया जाएगा अपूर्ण स्टेकों को पूर्ण करने हेतु एक से अधिक समितियों का स्कंधं एक स्टेक में भंडारित किया जा सकेगा ।

35.6 निर्धारित अनलोडिंग व्यय का भुगतान उपार्जन एजेंसी के द्वारा सेवा प्रदाता को JIT के माध्यम से किया जाएगा। JIT के माध्यम से भुगतान न हो पाने की दशा में संस्था/गोदाम स्वामी/परिवहनकर्ता को भुगतान ऑफलाईन राज्य उपार्जन एजेन्सी द्वारा किया जा सकेगा।

35.7 जमा स्थल पर लाया गया स्कंध गुणवत्ता परीक्षण के दौरान NON FAQ पाए जाने की दशा में संबंधित उपार्जन समिति को वापिस किया जाएगा। वापिस किये गये स्कंध के परिवहन आदि पर होने वाले समस्त व्ययों को वहन करने का उत्तरदायित्व संबंधित उपार्जन समिति का रहेगा।

35.8 जमा स्थल पर लाए गये स्कंध के अनलोडिंग प्रक्रिया के दौरान आंशिक स्कंध NON FAQ पाए जाने की दशा में भंडारण स्थल पर स्थान उपलब्ध होने की दशा में जमा स्थल पर उपार्जन समिति के खाते में भंडारित किया जाएगा। भंडारण स्थल पर स्थान उपलब्ध न होने की दशा में संबंधित उपार्जन समिति को वापिस किया जाएगा। ऐसे NON FAQ स्कंध को शनिवार / रविवार अवधि में उपार्जन समिति द्वारा अपग्रेडेशन कराया जाएगा। अपग्रेडेशन कराये जाने का समस्त व्यय उपार्जन समिति को वहन करना होगा। अपग्रेडेशन प्रक्रिया के उपरांत भी यदि स्कंध NON FAQ ही पाया जाता है, तो ऐसे स्कंध को कृषक को वापिस करने का उत्तरदायित्व संबंधित उपार्जन समिति का रहेगा , जिसपर आने वाले समस्त व्ययों को वहन करने का उत्तरदायित्व उपार्जन समिति का रहेगा।

36. परिवहन भुगतान व्यवस्था :-

36.1 परिवहनकर्ताओं को राशि का भुगतान उपार्जन एजेन्सियों द्वारा JIT के माध्यम से किया जाएगा।

36.2 परिवहनकर्ता का नाम,लीड अनुसार निर्धारित परिवहन दर, बैंक खाता आदि का डाटाबेस JIT में तैयार किया जाएगा।

36.3 हैण्डलिंग –लोडिंग का भुगतान उपार्जन एजेंसियों द्वारा JIT के माध्यम से संस्था स्वामी को किया जाएगा।

36.4 हैण्डलिंग –अनलोडिंग का भुगतान उपार्जन एजेंसियों द्वारा JIT के माध्यमसे परिवहनकर्ताओं को किया जाएगा।

36.5 कार्य में समयबद्धता के पालन/शार्टेज /विफलताओं के स्थिति में पेनाल्टी/वसूली का निर्धारण निविदा दस्तावेजों में किया जाए।

36.6 उपार्जन एजेंसी के जिला अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर से परिवहनकर्ता को राशि का भुगतान किया जाएगा., इस संबंध में उपार्जन एजेंसी द्वारा भुगतान प्रोटोकॉल पृथक से तैयार किया जाएगा।

36.7 परिवहनकर्ता को भुगतान जे.आई.टी. के माध्यम से किया जाएगा यदि जे.आई.टी. में प्रावधान न होने पर उपार्जन एजेंसी द्वारा ऑफलाईन मोड में भुगतान किया जाएगा।

37. भंडारण स्थल पर प्राप्त स्वीकृति एवं अस्वीकृति पत्रक जारी करने की प्रक्रिया:-

37.1 राष्ट्रीय उपार्जन एजेन्सी द्वारा गोदाम स्तर पर गुणवत्ता परीक्षक नियोजित किया जाएगा जिसके द्वारा जमा कराने हेतु लाए गये उत्पाद का प्रतिनिधित्व सेंपल गुणवत्ता जांच हेतु लिया जाएगा। सेंपल की गुणवत्ता

जांच के पश्चात उसके मापदंड गुणवत्ता सर्वेयर मोबाईल ऐप में दर्ज किये जाएगे।समग्र रूप से मापदंड का आकंलन कर मोबाईल ऐप में स्वत: स्वीकृत अथवा अथवा अस्वीकृत हो जाएगा।

37.2 FAQ मापदण्ड की प्रवृष्टि सर्वेयर द्वारा भंडारण स्थल पर मोबाईल के माध्यम से सर्वेयर एप में किए जाने पर स्वीकृत / अस्वीकृत की जानकारी AUTO MODE के द्वारा CSMS पोर्टल पर प्रदर्शित होगी। CSMS पोर्टल पर जिला उपार्जन एजेंसी के कर्मचारी द्वारा स्वीकृति/अस्वीकृति पत्रक जारी किए जाएगे। स्वीकृत/अस्वीकृत पत्रक जारी होने पर भंडारण एजेंसी के पोर्टल पर प्रदर्शित होगे। भंडारण एजेंसी द्वारा स्वीकृति मात्रा की WHR FAQ स्कंध की राष्ट्रीय उपार्जन एजेंसी के पक्ष में जारी की जाएगी।

37.3 अस्वीकृति स्कंध का भंडारण स्थल पर संबंधित उपार्जन संस्था के नाम से पृथक से भंडारण किया जाएगा। उपार्जन केन्द्रं की समिति द्वारा NON FAQ स्कंध का अपग्रेडेशन भंडारण स्थल पर उपार्जन बंद रहने की सप्ताहिक अवधि में (शनिवार, रविवार) आवश्यक रूप से कराया जाना होगा। अपग्रेडेशन प्रकिया उपरांत स्कंध FAQ पाए जाने पर भंडारण स्थल पर स्वीकार्य किया जाएगा। अपग्रेडेशन के उपरांत FAQ स्कंध न होने की दशा में उक्त स्कंध को संबंधित कृषको को वापिस करने का उत्तर दायित्व उपार्जन समिति का रहेगा।

37.4 गुणवत्ता परीक्षण में अंतिम FAQ स्कंध जमा स्थल पर परीक्षण में पाए जाने पर मान्य किया जाएगा। ऐसे जमा स्कंध का निरीक्षण वरिष्ठ कार्यालय स्तर से किये जाने पर जमा स्कंध NON FAQ पाए जाने की दशा में जमा स्कंध को अपग्रेडेशन कराने का दायित्व संबंधित उपार्जन केन्द्र की उपार्जन समिति का होगा एवं दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही कलेक्टर/ जिला उपार्जन समिति द्वारा आवश्यक रूप से की जाएगी।

37.5 अधिक्रत स्कंध के स्वीकृत / अस्वीकृत को CSMS में दर्ज करने की कार्यवाही जिला स्तर पर उपार्जन एजेंसी द्वारा स्कंध प्राप्त होने के अधिकतम 48 कार्य घंटे में की जाएगी। उपार्जन ई-पोर्टल के माध्यम से स्वीकृत / अस्वीकृत को SMS प्रणाली से संबंधित केन्द्र प्रभारी को दिनांकवार इकजाई जानकारी की सूचना देने की व्यवस्था संचालक (कृषि)द्वारा NIC के माध्यम से कराई जाएगी।

37.6 गोदाम स्तर पर गुणवत्ता परीक्षण में आंशिक स्कंध NON FAQ पाए जाने पर शेष FAQ स्कंध के स्वीकृति पत्र जारी करने की व्यवस्था बनाई जाएगी इस संबंध मे संचालक (कृषि) द्वारा पृथक से निर्देश भी जारी किए जाऐंगे एवं ई-उपार्जन तथा CSMS पोर्टल पर व्यवस्था बनाई जाएगी।

37.7 जिन उपार्जन केन्द्रों पर विगत वर्षों में NON FAQ स्कंध संबंधी अधिक शिकायत प्राप्त हुयी हैं। वहां पर केन्द्र प्रभारी से पृथक व्यक्ति को गुणवत्ता परीक्षक का दायित्व सौंपा जाए। ऐसे केन्द्रों हेतु उपार्जन समिति उपार्जन एजेन्सी के आउटसोर्सिंग एजेन्सी से लिये गये सर्वेयर की सेवाएं समिति द्वारा ली जा सकेगी। उनका मानदेय उपार्जन केन्द्र की उपार्जन समिति को प्राप्त प्रशासकीय व्यय से भुगतान किया जाएगा।

38. **कृषको को भुगतान:-**

उपार्जन प्रारंभ करने के पूर्व कृषक भुगतान हेतु बैंक खातों का सत्यापन करने की प्रक्रिया :-

38.1 किसानों के पंजीयन में समस्त कृषकों से आधार नंबर की जानकारी ली जाकर एवं बायोमेट्रिक सत्यापन /OTP के आधार पर पंजीयन किया गया। कृषक के आधार नंबर से लिंक बैंक खाते में JIT/PFMSके माध्यम से समर्थन मूल्य की राशि का भुगतान किया जाएगा। यदि कृषक के आधार नंबर से लिंक बैंक खाते में राशि भुगतान करने पर किसी प्रकार की तकनीकी समस्या होने की दशा में कृषक द्वारा पंजीयन में दिये गये बैंक खाते में भुगतान की कार्यवाही की जा सकेगी।

38.2 यदि किसान द्वारा सहकारी बैंक के खाते उपलब्ध कराए गए है तो उनका सत्यापन महाप्रबंधक, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक द्वारा कराया जाए।

38.3 कृषक पंजीयन के दौरान ही आधार नंबर से लिंक बैंक खाते के सत्यापन हेतु उपार्जन एजेन्सी द्वारा रू 1/- का ट्रांजेक्शन किया जाएगा एवं जिन बैंक खातों में ट्रांजेक्शन विफल होगा उनको SMS के माध्यम से वर्तमान बैंक खाते को आधार से लिंक कराने हेतु कृषक को सूचित किया जाएगा। इसकी रिपोर्ट पोर्टल पर भी प्रदर्शित कराई जाएगी।

38.4 जिन कृषकों के आधार से बैंक खाते लिंक नहीं है उसकी जानकारी भी पोर्टल पर उपलब्ध कराते हुए कृषक को अपने बैंक खाते को आधार से लिंक कराने हेतु अवगत कराया जाएगा।

38.5 कृषक से उपज खरीदी के समय उपार्जन समिति द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कृषक द्वारा अपना बैंक खाता आधार से लिंक करा लिया गया है अथवा नहीं।

38.6 कृषक के जिस आधार लिंक बैंक खाते में राशि का भुगतान किया जाएगा उसकी जानकारी कृषक को SMS के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी।

38.7 किसानों के बैंक खातों में रू 1- का विफल भुगतान की समीक्षा कर किसान के सही बैंक खाते ई-उपार्जन पोर्टल पर संबंधित समिति द्वारा दर्ज किए जाए तथा उनका पुन: सत्यापन कराया जाए जिन किसानों के खातों की प्रविष्टिया गलत हैं उनकों अपने खाते की जानकारी चेक कर संशोधित करने हेतु ई- उपार्जन /JIT साफ्टवेयर से SMS के माध्यम से सूचित किया जाए।

39. कृषकों का भुगतान WHR के आधार पर ऑनलाईन डिजिटल व्यवस्था के माध्यम से किया जाना :-

39.1 कृषकों का भुगतान ऑनलाईन डिजीटल व्यवस्था से WHR के आधार पर किया जाएगा। यथासंभव उपार्जन एजेन्सियां सुनिश्चित करेंगी कि किसान की उपज की तौल होने के लगभग 5 दिवस में भुगतान हेतु EPO जारी किया जाएगा। समिति द्वारा यथासंभव 24 घंटे की समयावधि में EPO पर डिजिटल हस्ताक्षर किए जाएंगे।

39.2 कृषकों से क्रय किए गए स्कंध का MPWLC/CWCके गोदामों में जमा होने के 02 दिवस में MPWLC/CWC द्वारा WHR जारी एवं पोर्टल पर प्रिंट हेतु उपलब्ध की जाएगी जिसके आधार पर किसानों को ऑनलाईन डिजिटल व्यवस्था में भुगतान किया जाएगा।

39.3 किसानों की समर्थन मूल्य की राशि से कटौत्रा किए गए ऋण राशि के EPO को JIT के समिति लॉगिन में पृथक रंग से प्रदर्शित कराया जाएगा जिसे प्रिन्ट करने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। ऋण राशि का भुगतान भी कृषक भुगतान के सथ ही करने की व्यवस्था की जाएगी।

39.4 केन्द्र द्वारा कृषकों को भुगतान निर्धारित समर्थन मूल्य पर किया जाएगा अत: ई-उपार्जन में सही मात्रा की प्रविष्टि, गुणवत्ता आदि पर नियंत्रण/क्रियान्वयन कलेक्टर के मार्गदर्शन में GM-CCB एवं DRCS द्वारा किया जाएगा।

39.5 कृषकों का भुगतान JIT से किया जाएगा।

39.6 किसानों के खाते में राशि का भुगतान सफल/विफल होने पर JIT के माध्यम से SMS प्रेषित किया जाए।

39.7 समर्थन मूल्य का भुगतान विफल होने पर ऐसे किसानों की सूची पृथक से JIT पोर्टल पर प्रदर्शित कराई जाए।

40. उपार्जन समिति स्तर पर कृषक के भुगतान हेतु EPO पर डिजिटल हस्ताक्षर करने से पूर्व रखी जाने वाली सावधानी :-

40.1 किसान का नाम, बैंक खाता एवं IFSC का मिलान ई-उपार्जन एवं बैंक पासबुक से कर लिया हो।

40.2 किसी प्रकार की त्रुटि पाए जाने पर डिजिटल हस्ताक्षर को अस्वीकार कर EPO वापिस करना।

40.3 तदुपरांत बैंक खाता संशोधन कर भुगतान की कार्यवाही की जाए।

40.4 कृषक की एफएक्यू उपज की तौल होने पर खरीदी पावती जारी करने के पूर्व किसान की बैंक पासबुक से ई-उपार्जन पोर्टल पर दर्ज किसान के बैंक खाता क्रमांक,आई.एफ.एस.सी, शाखा का नाम, बैंक का नाम का मिलान किया जाएगा एवं पोर्टल पर सही डाटा दर्ज होने कि पुष्टि करने पर ही खरीदी पावती जारी होने का प्रावधान किया जाएगा। इसके उपरांत भी त्रुटि करने पर उपार्जन केन्द्र प्रभारी/कम्प्यूटर ऑपरेटर उत्तरदायी होगा। ऐसे त्रुटिपूर्ण भुगतान की वसूली संबंधित उपार्जन केन्द्र प्रभारी/कम्प्यूटर ऑपरेटर से की जा सकेगी।

40.5 सभी डिजिटल भुगतान का लेखा-जोखा रखने हेतु डिजिटल केशबुक भी संधारित की जाए

40.6 बैंक शाखाओं में पर्याप्त कैश क्रेडिट लिमिट के साथ-साथ नगदी की उपलब्धता हेतु कलेक्टर द्वारा समय पर समीक्षा करने के अतिरिक्त उपार्जन प्रारंभ होने के पूर्व DLCC की बैठक ली जाए।

41. JIT पोर्टल से कृषक भुगतान विफल होने की दशा में की जाने वाली कार्यवाही :-

1) विगत वर्षो के उपार्जन मात्रा का कृषकों को भुगतान की JIT प्रक्रिया अंतर्गत असफल भुगतानों के संबंध में FARMER PAYMENT RESPONSE में निम्नानुसार टीप प्रदर्शित हुयी है:-

a) INSUFFICIENT BALANCE (E04)

b) ACCOUNT DOES NOT EXISTS (E01)

c) EPO DELETED FROM JIT (E0D)

d) ACCOUNT CLOSED (E06)

e) CREDIT LIMIT EXCEEDS (E16)

f) INVALID ACCOUNT (E02)

g) INVALID DESTINATION IIN (E47)

h) ACCOUNT STOPPED (E05)

i) ACCOUNT HOLDER EXPIRED (E08)

j) ACCOUNT RESTRICTED (E03)

k) INVALID RECEVER IFSC CODE (E20)

2) विफल भुगतान के कारकों का विश्लेषण केन्द्र एवं जिला उपार्जन समिति स्तर पर किया जाए।

3) खाता बंद होने अथवा जनधन खाता होने के कारण भुगतान विफल होने पर कृषक को बैंक खाता चालू कराने / खाते की भुगतान लिमिट बढ़ाने / नवीन बैंक खाते को आधार से लिंक कराना होगा।

4) त्रुटि पूर्ण बैंक खाता दर्ज होने, खाता बंद होने अथवा जन-धन खाता होने के कारण भुगतान विफल होने पर किसान का सही बैंक खाता प्राप्त कर शाखा प्रबंधक जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक को उपलब्ध कराया जाए। संशोधित खातों की रिपोर्ट पोर्टल पर सभी लॉगिन में उपलब्ध कराई जाएगी।

5) सही बैंक खाता दर्ज करने की कार्यवाही शाखा प्रबंधक जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक द्वारा करने के उपरांत विफल भुगतान को NIC द्वारा पुनः री-पुश किया जाए।

6) भुगतान राशि नोडल बैंक के ससपेंस खाते में अंतरित होने पर GM,DCCB द्वारा नोडल बैंक से सतत सम्पर्क कर राशि उपार्जन एजेंसी को वापिस की जाए। ऐसे किसानों को भुगतान की प्रक्रिया का निर्धारण संचालक, कृषि द्वारा उपार्जन एजेन्सी के परामर्श से किया जाएगा।

42. उपार्जन केन्द्र को पूंजी, लेखा संधारण एवं ऑडिट, कमीशन भुगतान व्यवस्था :-

42.1 उपार्जन केन्द्र को प्रारंभिक प्रशासनिक व्यवस्था बनाने एवं प्रासंगिक व्यय करने हेतु संस्था को पर्याप्त साख-सीमा जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक प्रदान करेगी, जिसकी समीक्षा जिला उपार्जन समिति द्वारा की जाएगी, इस राशि पर प्राप्ति एवं व्यय की इन्द्राजी ऑनलाईन व्यवस्था ई-उपार्जन /JIT में बनाई जाएगी। ऑनलाईन व्यवस्था अंतर्गत व्यय राशि पर देय ब्याज की प्रतिपूर्ति भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रावधानिक लागत पत्रक अनुसार की जाएगी।

42.2 भारत सरकार के द्वारा प्रासंगिक व्यय के पुनरीक्षित सिद्धांत हेतु जारी पत्र क्रमांक 191(1)/2019-FC.A/CS PART FILE DT 24.02.2020 अनुसार मंडी लेवर व्यय के निर्धारण उपरांत मंडी बोर्ड द्वारा उपार्जन केन्द्र पर व्यवस्था हेतु हम्माली , तुलाई – भराई , स्टेंसिल की छपाई/सिलाई सहित अन्य दरें उपार्जन पूर्व अधिसूचित करने की व्यवस्था बनाई जाए।

42.3 भारत सरकार के प्रावधानिक लागत पत्रक में उपार्जन केन्द्र स्तर पर अस्थाई भंडारण हेतु भंडारण दर का प्रावधान किये जाने पर उक्त राशि संबंधित उपार्जन एजेन्सियों द्वारा संबंधित उपार्जन समितियों को प्रावधान अनुसार उपलब्ध कराई जाएगी। अस्थाई भंडारण के व्यय की पूर्ति भारत सरकार/राष्ट्रीय एजेन्सी के प्रावधानिक लागत पत्रक एवं अंतिम लागत पत्रक में चाहे गये व्यय के दस्तावेजों को संबंधित उपार्जन समिति द्वारा प्रस्तुत करने के उपरांत उपार्जन एजेंसी द्वारा प्रावधानिक लागत पत्रक की सीमा तक की जा सकेगी। संबंधित उपार्जन समिति द्वारा प्रावधानिक लागत पत्रक में तय सीमा से अधिक व्यय करने की स्थिति में प्रावधानिक लागत पत्रक से अधिक व्यय की राशि प्रतिपूर्ति भारत सरकार के द्वारा स्वीकृत अंतिम लेखा दावों के अनुरूप होगी।

42.4 अस्थाई भंडारण स्टेक से ट्रक पर लदाई करने हेतु हैण्डलिंग दर भी देय होगी, यदि गोदाम स्तरीय केन्द्र पर संस्था द्वारा बारदानों को गोदाम के अंदर स्टेक किया जाता है तो हैण्डलिंग एवं मूवमेंट की निर्धारित दर से देय होगा।

42.5 नवीन ACCOUNTS PROTOCOL जारी किया जाए। जिसमें निर्धारित मानकों के अधीन केन्द्र स्तरीय सभी व्यय की गणना स्वमेव हो जाएगी, तथा संबंधित VENDORS के भुगतान केन्द्र/संस्था प्रभारी के DIGITAL AUTHENTICATION उपरांत JIT के माध्यम से किए जा सकेंगे।

42.6 उपार्जन एजेंसी द्वारा WHR जारी होने पर ही कृषकों को समर्थन मूल्य तथा समितियों को प्रासंगिक व्यय, कमीशन तथा हैण्डलिंग मद (तदर्थ) में JIT से भुगतान किया जाएगा। भुगतान की जाने वाली तदर्थ राशि का निर्धारण MARKFED के द्वारा किया जाएगा।

42.7 अंकेक्षित मदों के लेखा प्रस्तुत करने के उपरांत एजेन्सियां उपार्जन केन्द्र को प्रासांगिक (शेषांश),कमीशन (शेषांश) हैण्डलिंग, अस्थाई भंडारण एवं ब्याज की राशि भारत सरकार/राष्ट्रीय एजेन्सी द्वारा पी.एस.एस. गाईड लाईन में मान्य दरों अनुसार भुगतान कराया जाएगा, इस संबंध में MARKFED द्वारा पृथक से निर्देश जारी किये जाएगे।

42.8 समिति स्तर पर लेखा संधारण एवं ऑडिट के लिए पृथक से निर्देश आयुक्त, सहकारिता द्वारा उपार्जन एजेन्सियों से परामर्श उपरांत जारी किए जाएंगे।

42.9 संयुक्त भागीदारी योजना के अंतर्गत अनुबंधित गोदाम संचालकों द्वारा उपार्जन का कार्य करने की दशा में उनके गोदाम में भंडारित स्कंध का स्वीकृत पत्रक उपार्जन उजेन्सी द्वारा जारी किया जाएगा, ऐसे गोदामों पर जमा स्कंध की वेयर हाउस रसीद संयुक्त भागीदारी योजनातंर्गत अनुबंधित गोदाम संचालक के द्वारा जारी न की जाकर वेयर हाउस रसीद जारी करने का कार्य MPWLC के शाखा प्रबंधक के द्वारा किया जाएगा। जिसके आधार पर कृषकों को भुगतान किया जाएगा। इस हेतु उनकों सॉफ्टवेयर में प्रावधान दिए जाएगे।

42.10 संयुक्त भागीदारी के गोदाम संचालकों के द्वारा उपार्जन कार्य के दौरान परिलक्षित कमी/खराब स्कंध की राशि की वसूली का कार्य उपार्जन एजेन्सी द्वारा जमा अमानत राशि, भंडारण शुल्क, कमीशन, प्रासंगिक व्यय की लंबित देय राशि से भुगतान की कार्यवाही कराई जाएगी।

42.11 किसानों को समर्थन मूल्य की राशि का भुगतान पूर्व स्वीकृति पत्रक में त्रुटि होने पर जिला स्तर से डिलीट किये जा सकेंगे। किसानों को भुगतान उपरांत स्वीकृति पत्रक जिला स्तर से डिलीट नहीं किये जा सकेंगे अपितु इनमें संशोधन की कार्यवाही उपार्जन एजेन्सी के जिला कार्यालय द्वारा ऑनलाईन रिक्वेस्ट सॉफ्टवेयर में डाली जाएगी। तदोपरांत उपार्जन एजेन्सी के मुख्यालय द्वारा प्रक्रिया निर्धारित कर स्वीकृति पत्रक डिलीट किये जाने संबंधी कार्यवाही की जाएगी। इस संबंध में प्रक्रिया का निर्धारण उपार्जन एजेन्सी द्वारा पृथक से निर्देश जारी कर लिया जाएगा।

43. उपार्जन संस्थाओं को प्रासंगिक व्यय का भुगतान :-

उपार्जन संस्थाओं को प्रसांगिक व्यय का भुगतान भारत सरकार/ राज्य शासन/मंडी बोर्ड द्वारा निर्धारित मापदंड अनुसार JIT के माध्यमसे किया जाएगा। उपार्जन अवधि में तदर्थ भुगतान की जाने वाली राशि का निर्धारण MARKFED द्वारा निर्धारित किया जाएगा। समस्त STAKEHOLDERS को शेष वित्तीय प्राप्ति की प्रक्रिया एवं समय-सीमा का निर्धारण उपार्जन एवं भंडारण एजेन्सी से विचार विमर्श उपरांत MARKFED द्वारा किया जाएगा , जिसके अनुसार भुगतान प्रबंधन JIT से होगा।JIT में प्रावधान नहीं होने पर ऑफ लाईन भुगतान राज्य उपार्जन एजेन्सी द्वारा किया जाएगा।

44. <u>उपार्जित स्कंध की भंडारण व्यवस्था :-</u>

उपार्जित सोयाबीन के भंडारण हेतु राज्य नोडल एजेन्सी म.प्र. वेयरहाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन (MPWLC) द्वारा निम्न कार्यवाही सुनिश्चित की जाए :-

44.1 Storage कार्य हेतु भारत सरकार एवं राज्य शासन द्वारा निर्धारित निर्देशों का पालन भंडारण एजेंसी द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।

44.2 उपार्जन/वितरण तथा भंडारण एजेंसियां आपसी MOU करेगी जिसमें दायित्वों तथा देयताओं एवं भुगतान व्यवस्था का स्पष्ट उल्लेख होगा।

44.3 परिवहन व्यंय को सीमित करने के उद्धेश्य से गोदाम स्तरीय खरीदी केन्द्र बनाए जाएगे जिसमें गोदाम स्तर पर स्कंध कीं हैण्डलिंग व्यय एवं गोदाम में स्टेकिंग व्यय के भुगतान के संबंध में गेहूं/धान उपार्जन नीति की तहत MPSCSC द्वारा जारी किए गए निर्देशों को सोयाबीन में उक्त व्यय मान्य किया जाएगा।

44.4 भंडारित उपज की सुरक्षा की पूरी व्यवस्था का उत्तरदायित्व भंडारण एजेंसी का होगा।

44.5 भंडारण एवं निस्तारण हेतु प्रत्येक गोदाम केन्द्र पर कम्प्यूटरीकृत प्रविष्टि की व्यवस्था की जाएगी।

44.6 समस्त शासकीय एजेंसियों के गोदाम के उपयोग करने के पश्चात यदि किसी जिले में अतिरिक्त भंडारण क्षमता की आवश्यकता है तो इसे राज्य भंडारण एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।

44.7 राज्य स्तरीय/जिला स्तरीय भंडारण कार्य योजना का अनुमोदन क्रमश: राज्य/जिला स्तरीय उपार्जन समिति से प्राप्त किया जाएगा।

44.8 जिला स्तर पर निर्धारित भंडारण योजना का रेण्डम परीक्षण क्षेत्रीय प्रबंधक, MPWLC/MARKFED द्वारा किया जाएगा तथा

44.9 जिला स्तरीय उपार्जन समिति के अध्यक्ष – कलेक्टर अपरिहार्य स्थिति में प्रबंध संचालक MPWLC के संज्ञान में लाते हुए निर्णय ले सकते हैं।

45. <u>जिले में भंडारण कार्य योजना के लिये अनमानित भंडारण क्षमता का आंकलन :-</u>

45.1 विकासखंड को भंडारण हेतु इकाई माना जाएगा।

45.2 शासकीय गोदामों में भंडारण क्षमता 125 प्रतिशत तथा JVS में 120 प्रतिशत की मैपिंग की जा सकेगी, जिसे परिस्थिति अनुसार MD,WLC द्वारा 130 प्रतिशत तक किया जा सकेगा।

45.3 जिंन गोदामों में उपार्जन केन्द्र स्थापित होंगे, वे भी मैपिंग में सम्मिलित होंगे।

45.4 गोदाम हेतु सामान्यत: रिक्त भंडारण क्षमता 500 मी0टन तथा परिदान गोदाम हेतु वास्तविक रिक्त क्षमता मान्य होगी।

45.5 खरीदी केन्द्र से एक ही श्रेणी के गोदाम (0.5 कि.मी. के भीतर) एक से अधिक उपलब्ध होने की स्थिति में जिला स्तरीय समिति द्वारा लॉटरी पद्धति से प्राथमिकता का क्रम निर्धारित करेगी।

45.6 भंडारण स्थल (गोदाम) से 4 किलोमीटर दूरी में धर्मकांटा उपलब्ध नहीं है वहां पर स्टेण्डर्ड वजन अनुसार स्कंध की भरती कर गोदाम में जमा कराया जाए, जिसकी संतुष्टि हेतु 10 प्रतिशत तक रेण्डम तौल पुन: की जा सकेगी। यदि इस प्रकार की तौल में किसी विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर शत- प्रतिशत तौल कराई जा सकेगी। 4 किलोमीटर की परिधि में धर्मकांटा उपलब्ध न होने वाले गोदामों का चिन्हांकन संबंधित उपार्जन एजेन्सियों द्वारा किया जाकर CSMS एवं ई- उपार्जन साफ्टवेयर में उसकी प्रविष्टि कराई जाए।

46. <u>संयुक्त भागीदारी योजना में गोदाम लेने हेतु मार्गदर्शी सिद्धांत :-</u>

उपार्जित स्कंध की भंडारण व्यवस्था हेतु MPWLC द्वारा निजी/सहकारी क्षेत्र के गोदाम "संयुक्त भागीदारी योजना " में लेने हेतु पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई जाकर JVS योजना तैयार की जाएगी जिसके प्रावधानों का अनुपालन सभी संबंधित संस्थाओं के लिए बंधनकारी होंगे। इस हेतु एक विस्तृत अनुबंध नोडल भंडारण एजेन्सी के द्वारा JV गोदाम स्वामियों से किया जाएगा। JV गोदाम लेने हेतु मुख्य मार्गदर्शी सिद्धांत निम्नानुसार होंगे:-

46.1 गोदाम / केप परिसर की रिक्त भंडारण क्षमता यथासंभव 1000 मी0टन तथा गोदाम यूनिट 500 मी0टन रखी जाए।

46.2 ऐसे निजी गोदाम परिसर को प्राथमिकता होगी, जिसमें निम्न अर्हताऐं होगी :-

(1) भंडारण क्षमता 5000 मी0टन

(2) इलेक्ट्रानिक वे-ब्रिज (धर्मकांटा)

(3) गोदाम की बांउण्ड्री वॉल/फेंसिंग एवं प्रत्येक गेट पर अंदर की ओर जालीदार गेट/शटर तथा

(4) बीटी, सीमेन्ट, कांक्रीट अथवा WBM रोड

47. <u>ई-उपार्जन एवं समानान्तर CSMS/WHMS साफ्टवेयर में भंडारण संबंधी व्यवस्थाऐं:-</u>

47.1 DMO MARKFED लॉगिन पर भंडारण केन्द्रों की मैपिंग जिसमें उपार्जन केन्द्र वाले गोदाम अलग उच्चश्रेणी हो।

47.2 कलेक्टर लॉगिन पर जिले की भंडारण कार्ययोजना बनाने की व्यवस्था

47.3 RM LOGIN से सत्यापन एवं राज्य स्तर पर रिपोर्ट में संकलन की व्यवस्था।

47.4 'एक ट्रक-एक परिवहन चालान – एक स्वीकृति पत्रक-एक डिपोजिट फार्म --एक WHRजारी की जाए, ताकि कृषकों का भुगतान समय पर किया जाना संभव हो सके।

47.5 गोदाम स्तरीय उपार्जन केन्द्रों पर मल्टीपल हैण्डलिंग चालान बनाने की सुविधा उपलब्ध रहेगी।

47.6 गोदाम एवं TC वार स्वीकृत एवं रिजेक्ट मात्रा की जानकारी पोर्टल पर प्रदर्शित कराई जाएगी।

47.7 जिले की डायवर्टेड TC एवं TC वार परिवहन हानि की जानकारी पोर्टल पर प्रदर्शित कराई जाएगी।

47.8 गोदामवार TC अनुसार स्वीकृत/अस्वीकृत मात्रा की जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध कराई जाएगी।

47.9 पोर्टल पर TC बनाते समय स्कंध की कुल मात्रा प्रदर्शित कराई जाएगी।

47.10 स्वीकृति पत्रक को संस्था के परिवहन मूवमेंट आदेश के 48 घण्टे (कार्य घंटे/ दिवस) उपरांत तक तथा डिपॉजिट फार्म जनरेट होने पर त्रुटियुक्त न होने की दशा में WHR को अगले 48 घंटे (कार्य घंटे/ दिवस) में जारी किए जाए, इसके उपरांत 12 घंटे की अवधि में स्वीकृति पत्रक /WHR जारी नहीं होने पर लंबितता की रिपोर्ट जनरेट करने की व्यवस्था तथा

47.11 FAQ स्कंध गोदाम में समितिवार स्टेकिंग के रूप में भंडारित किया जाएगा। अपूर्ण स्टेकों को पूर्ण करने हेतु एक से अधिक समितियों का स्कंध एक स्टेक में भंडारित किया जा सकेगा।

47.12 वेयरहाउस स्तर से राष्ट्रीय एजेंसी नेफेड/एन.सी.सी.एफ. के पक्ष में WHR जारी करते समय, WHR की राशि (समर्थन मूल्य राशि में 10 प्रतिशत बढ़ाकर), FAQ Quality तथा बारदाना प्रकार (New/Once used SBT) अंकित किया जाना अनिवार्य होगा, जिस हेतु WHMS पोर्टल में उपार्जन प्रारंभ होने के पूर्व आवश्यक संशोधन वेयरहाउस स्तर से किया जावें।

48. गोदाम परिसर में स्थापित उपार्जन सह भंडारण केन्द्र पर भंडारण संबंधी व्यवस्थाऐं:-

48.1 जिन केन्द्रों पर परिवहन नहीं किया जाना है वहां TC के स्थान पर हैण्डलिंग चालान उपार्जन संस्था द्वारा जारी किया जाएगा, जिसकी प्रक्रिया परिवहन प्रोटोकॉल का भाग रहेगी।

48.2 गोदाम स्तरीय (परिवहन रहित) उपार्जन की दशा में प्रति दिवस एक हैण्डलिंग चालान एक स्वीकृत पत्रक, एक डिपाजिट फार्म, एक WHR व्यवस्था रहेगी तथा

48.3 गोदाम स्तरीय उपार्जन केन्द्र, जिनमें स्कंध के भंडारण हेतु जिला उपार्जन समिति अनुसार पृथक से परिवहन की आवश्यकता नहीं वहां संस्था द्वारा सीधे गोदाम में भंडारण कराया जा सकेगा, भंडारण के समय वजन कीपुष्टि हेतु वे सामान्यत : 10% या जो उचित समझें की तौल पुन: की जाएगी।

49. प्रचार-प्रसार हेतु कर्मचारी एवं संस्थाओं की भूमिका का निर्धारण:-

49.1 पंजीयन एवं उपार्जन में कठिनाईयां एवं बाधाऐं न्यून करने के उद्देश्य से व्यवस्था का व्यापक प्रचार-प्रसार ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत एवं कोटवार आदि के माध्यम से कराया जाए। पंजीयन/उपार्जन प्रक्रिया ग्राम स्तर तक कोटवारों के माध्यम से प्रसारित कराई जाए।

49.2 किसानों की पहचान सुनिश्चित करने हेतु आधार नंबर आवश्यक होंगे, जिनके पास आधार नहीं है, उन्हें आधार पंजीयन कराकर ई-आई डी नंबर उपलब्ध कराने हेतु अवगत कराया जाए। जिन किसानों द्वारा आधार पंजीयन करा लिया गया है, किन्तु उनको आधार नंबर प्राप्त नहीं हुए है, ऐसे आधार नंबर की खोज किसान द्वारा इंटरनेट कैफे पर जाकर UIDAI के पोर्टल से ज्ञात की जा सकती है।

49.3 बोई फसलों की प्रविष्टियां सही रूप में भू-अभिलेख ' गिरदावरी एप ' में कराए, पुष्टि के लिए भू-अभिलेख पोर्टल पर देखे तथा त्रुटि पर प्रविष्टि सुधार के लिए तहसीलदार को आवेदन करें तथा

49.4 भीड़ एवं कठिनाईयों से बचने हेतु किसान उपार्जन के लिए निर्धारित तिथि में ही केन्द्र पर आए।

49.5 रेडियों एवं प्रिन्ट मीडिया पर विज्ञापन आदि।

49.6 विगत रबी एवं जायद (ग्रीष्मकालीन) के पंजीयन में जिन किसानों के मोबाइल नंबर उपलब्ध हैं, उन्हें SMS से सूचित करना।

49.7 ग्राम में डोंडी पिटवा कर तथा पंचायतों के सूचना पटल पर सूचना प्रकाशित करना तथा

49.8 पंजीयन/ उपार्जन समिति/कृषि उपज मंडी स्तर पर किसानों को सूचना देने के लिए बैनर, पोस्टर, ब्रोशर द्वारा सूचित करना।

50. राज्य उपार्जन एजेन्सी विपणन संघ द्वारा राज्य / जिला स्तर पर आयोजित किये जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम:-

50.1 राज्य स्तर पर सम्बद्ध विभागों का उन्मुखीकरण एवं स्टेट रिसोर्स पर्सन का प्रशिक्षण।

50.2 संभाग स्तर पर स्टेट रिसोर्स पर्सन की सहायता से प्रत्येक जिले के अधिकारियों का उन्मुखीकरण तथा मास्टर ट्रेनर का प्रशिक्षण।

50.3 जिला एवं तहसील स्तरीय अधिकारियों का उन्मुखीकरण एवं प्रशिक्षण।

50.4 संस्था प्रबंधक एवं केन्द्र प्रभारी का प्रबंधन, लेखा, गुणवत्ता एवं बेसिक कम्प्यूटरीकरण का प्रशिक्षण।

50.5 केन्द्र के डाटा एन्ट्री ऑपरेटर का पंजीयन, उपार्जन, DAY CLOSURE REPORT, R2T, परिवहन एवं JIT द्वारा दावे एवं भुगतान ऑनलाईन करने का प्रशिक्षण।

50.6 परिवहनकर्ताओं एवं उनके डाटा एन्ट्री ऑपरेटर का ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल का प्रशिक्षण।

50.7 गोदाम मालिकों एवं भंडार गृहों से जारी एवं RELEASE होने वाले स्कंध का WHR जारी करने का प्रशिक्षण।

50.8 नापतौल निरीक्षकों का प्रशिक्षण।

50.9 प्रत्येक स्तर के गुणवत्ता नियंत्रकों का प्रशिक्षण।

50.10 लेखा कर्मियों का प्रशिक्षण।

50.11 उपार्जन एजेंसी के कर्मी/अधिकारियों का प्रशिक्षण।

50.12 भंडारण एजेंसी के कर्मी / अधिकारियों का प्रशिक्षण (MPWLC) द्वारा तथा

50.13 सहकारिता, राजस्व, कृषि एवं DCCB के जिला अधिकारियों का उन्मुखीकरण।

51. मार्कफेड द्वारा प्रशिक्षण की संस्थागत व्यवस्था बनाने हेतु की जाने वाली कार्यवाही :-

51.1 राज्य एवं जिला स्तर पर गुणवत्ता सह-उपार्जन प्रशिक्षण केन्द्र का चिन्हांकन करना।

51.2 राज्य एवं जिला स्तरीय गुणवत्ता स्त्रोत एवं मास्टर प्रशिक्षक नियोजित अथवा नामांकित करना।

51.3 प्रशिक्षक एवं उपयोग स्तर के लिए गुणवत्ता मार्गदर्शिका तैयार करना।

51.4 स्त्रोत प्रशिक्षकों एवं मास्टर ट्रेनर का उन्मुखीकरण

51.5 राज्य स्तर पर संबद्ध विभागों का उन्मुखीकरण एवं STATE RESOURCE PERSON प्रशिक्षण

51.6 जिला एवं मैदानी अमले, संस्था प्रबंधक, केन्द्र प्रभारी तथा गुणवत्ता सर्वेयर के प्रशिक्षण एवं CERTIFICATION की व्यवस्था करना।

51.7 केन्द्र स्तरीय पर्यवेक्षण टीम हेतु मागदर्शिका तैयार करना एवं प्रशिक्षण देना।

52. पर्यवेक्षण एवं मॉनीटरिंग :-

52.1 पंजीयन एवं उपार्जन के समस्त प्रक्रिया , स्कंध की गुणवत्ता , पर्यवेक्षण तथा नीति के अंतर्गत कठिनाईयों का निराकरण करने हेतु राज्य, संभाग, जिला एवं उपखंड –स्तरीय उपार्जन समितियां उत्तरदायी होंगी, जिसका स्वरूप संलग्न **परिशिष्ट – 1 अनुसार** रहेगा। जिला उपार्जन समिति की बैठक में परिवहनकर्ता एवं वेयर हाउस आनर्स एसोसिऐशन के प्रतिनिधियों को आवश्यकता अनुसार आमंत्रित किया जा सकेगा।

52.2 राज्य उपार्जन एजेन्सी की प्रति मंगलवार अपरान्ह 2:00 बजे संचालक, कृषि द्वारा आयोजित की जाने वाली बैठक में प्रबंध संचालक मार्कफेड एवं प्रबंध संचालक MPWLC अनिवार्य रूप से उपस्थति होंगे।

52.3 राज्य उपार्जन समिति की बैठक साप्ताहिक की जाएगी तथा संचालक कृषि एवं सभी एजेन्सियों द्वारा प्रदेश स्तर से समय – समय पर क्षेत्रीय भ्रमण हेतु अधिकारी भेजें जाएगे।

53. जिला स्तर पर सघन पर्यवेक्षण एवं मॉनीटरिंग की व्यवस्था :-

53.1 समस्त जिलों में केन्द्र पर संसाधन एवं व्यवस्था।

53.2 राज्य एवं जिला स्तर के प्रशिक्षण की व्यवस्था।

53.3 खरीदी के दौरान ई-उपार्जन / CSMS/WHMS/JIT की तकनीकी समस्याओं का निराकरण।

53.4 गुणवत्ता नियंत्रण हेतु समय-समय पर दलों को भेजना एवं क्षेत्रीय भ्रमण कराना।

53.5 परिवहन एवं भंडारण के बिन्दुओं को ध्यान में रखना

53.6 साप्ताहिक समीक्षा, सामयिक प्रशिक्षण एवं कठिनाईयों के निराकरण की आवश्यक व्यवस्थाऐं बनाना।

53.7 जिलों में केन्द्र पर संसाधन एवं व्यवस्थाओं का सत्यापन करना।

53.8 केन्द्र पर प्रतिदिन एक कर्मी (कृषि /सहकारिता/खाद्य/राजस्व) की डयूटी लगाना इन नोडल अधिकारियों की प्रविष्टि ई-उपार्जन पोर्टल पर कराई जाए। राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष में उपार्जन संबंधी शिकायत प्राप्त होने पर संबंधित केन्द्र के नोडल अधिकारी से सम्पर्क कर शिकायत/समस्या का निराकरण कराया जाए तथा

53.9 प्रत्येक केन्द्र या अधिकतम 3 उपार्जन केन्द्र के लिए टीम का गठन जिसमें एक केन्द्र हेतु नोडल कर्मी तथा उनकी सहायता के दो अन्य मैदानी सदस्य नियुक्त करना ,जो कि निम्न के लिय उत्तरदायी होंगे :-

1) उपार्जन प्रारंभ होने से पूर्व केन्द्र में उपलब्ध सुविधाओं का सत्यापन।
2) किसान पंजीयन की प्रगति
3) उपार्जन एवं उसकी गुणवत्ता तथा समयावधि में कृषक भुगतान तथा
4) प्रचार-प्रसार, प्रशिक्षण एवं अन्य प्रशासनिक व्यवस्था।

53.10 अनुविभाग स्तर के लिए राजस्व, कृषि , सहकारिता विभाग एवं नेफेड/उपार्जन संस्था के प्रतिनिधियों का दल कलेक्टर द्वारा गठित किया जाए। यह दल खरीदी केन्द्रों का आकस्मिक निरीक्षण कर सुनिश्चित करेंगे कि खरीदी केन्द्रों पर बिक्री हेतु आ रहा सोयाबीन निर्धारित स्पेसिफिकेशन के अनुसार ही खरीदा जा रहा है एवं उसके संबंध में क्रेता/विक्रेता के विवादों का निराकरण भी करेंगे।

54. पड़ोसी राज्यों के जिलों में अवैध विक्रय को रोकने के लिए की जाने वाली कार्यवाही :-

54.1 सीमावर्ती इलाके में आवश्यक चेकिंग दल तैनात कर सघन पर्यवेक्षण करावें।

54.2 अवैधानिक तरीके अपनाकर अन्य राज्य से उपार्जन केन्द्रों में विक्रय हेतु आने वाला उत्पाद रोकें।

54.3 नामित दल का विवरण मय दूरभाष क्रमांक की जानकारी कंट्रोल रूम को भेजे तथा

54.4 इस दल के द्वारा किए गए कार्य की साप्ताहिक रूप से समीक्षा करें।

54.5 सीमावर्ती चेक पोस्ट एवं उन पर पदस्थ निरीक्षण दल की जानकारी पोर्टल पर दर्ज कराने की व्यवस्था बनाई जाए।

55. उपार्जन एवं भुगतान की कम्प्यूटरीकृत व्यवस्था का संचालन :-

55.1 उपार्जित उपज के भुगतान की समस्त व्यवस्था को कम्प्यूटरीकृत करने का दायित्व संचालक (खाद्य) का होगा। कम्प्यूटरीकृत व्यवस्था के संचालन हेतु PROJECT MANAGEMENT UNIT (PMU) का नियंत्रण संचालक (खाद्य) के अधीन होगा। संचालक (खाद्य) द्वारा E-UPARJAN, CIVIL SUPPLIES MONITORING SYSTEM (CSMS) एवं JUST IN TIME (JIT) पोर्टल के सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन प्रोटोकॉल अनुसार प्रबंध संचालक MARKFED संचालक(कृषि) / संचालक (खाद्य) के साथ समन्वय कर उपार्जन कार्य संपादित किया जाएगा।

55.2 कम्प्यूटरीकृत व्यवस्था संचालन अंतर्गत समस्याओं के संकलन एवं उनका निराकरण समय सीमा में किये जाने हेतु कम्प्यूटरीकृत व्यवस्था के प्रत्येक स्तर पर एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा।

55.3 संचालक (कृषि), संचालक (खाद्य), NIC, राज्य उपार्जन एजेन्सी एवं राज्य भंडारण एजेन्सी स्तर पर तकनीकी समस्याओं के निराकरण हेतु अतिरिक्त तकनीकी सेवाओं की सेवाएं प्राप्त की जा सकेंगी, जिस पर आने वाले व्यय भार की प्रतिपूर्ति उपार्जन के शासन के प्रशासनिक व्यय से विकलनीय होगा।

55.4 ई-उपार्जन में तकनीकी समस्याओं के निराकरण हेतु संचालनालय (कृषि) तथा संचालनालय (खाद्य) में HELP DESK बनाई जाएगी। HELP DESK में दक्ष तकनीकी अमला पृथक से पदस्थ किया जाएगा। आयुक्त पंजीयक एवं सहकारी संस्थाए राज्य स्तर से उपार्जन कार्य की समीक्षा हेतु तीन कम्प्यूटर ऑपरेटर की सेवाएं दिनांक 21.10.2024 से 10.01.2025 तक प्राप्त कर सकेंगी। इन कार्यों में प्रयुक्त मानव संसाधनों पर आने वाला व्यय उपार्जन के शासन के प्रशासनिक व्यय से विकलनीय होगा।

56. राज्य,संभाग, जिला एवं उपखण्ड स्तर पर उपार्जन प्रबंधन एवं पर्यवेक्षण का दायित्व :-

राज्य स्तरीय उपार्जन समिति, संभाग स्तरीय उपार्जन समिति, जिला स्तरीय उपार्जन समिति एवं उपखण्ड स्तरीय उपार्जन समिति का उपार्जन प्रबंधन एवं पर्यवेक्षण का दायित्व होगा।

57. राज्य एजेन्सी, उपार्जन केन्द्र की एजेन्सी एवं गोदाम संचालक के मध्य निष्पादित किये जाने वाले अनुबंध :-

57.1 उपार्जन करने वाली संस्था के द्वारा संचालित किये जाने वाले समस्त उपार्जन केन्द्रों के लिये राज्य उपार्जन एजेंसी के साथ बतौर एजेंट एक लिखित में अनुबंध निष्पादन किया जायेगा। उपार्जन नीति एवं शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देश अनुबंध के भाग होंगे।

57.2 एक से अधिक उपार्जन केन्द्र संचालित करने वाली उपार्जन केन्द्र की संस्था को पृथक-पृथक उपार्जन केन्द्रवार अनुबंध करने की आवश्यकता नहीं होगी।

57.3 राज्य एजेन्सी एवं उपार्जन केन्द्र की संस्था के शासन द्वारा जारी उपार्जन नीति एवं समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप दायित्व तथा देयताओं का स्पष्ट उल्लेख अनुबंध में होने के साथ-साथ विवादों के निराकरण की व्यवस्था भी बनाई जाएगी।

57.4 रबी विपणन वर्ष 2024-25 में चना, मसूर एवं सरसों /ग्रीष्मकालीन मूंग एवं उड़द उपार्जन हेतु जारी अनुबंध के समान ही खरीफ 2024 (विपणन वर्ष 2024-25) में निर्धारित द्विपक्षीय एवं त्रिपक्षीय अनुबंध प्रारूप सोयाबीन के उपार्जन हेतु प्रबंध संचालक मार्कफेड द्वारा जारी किये जा सकेंगे।

57.5 विगत विपणन वर्ष 2024-25 में चना, मसूर एवं सरसों/ ग्रीष्मकालीन मूंग एवं उड़द उपार्जन हेतु जारी अनुबंध की किसी कण्डिका में यदि अपरिहार्य कारणों से परिवर्तन/ समावेश किया जाना आवश्यक हो तो ऐसी दशा में उपार्जन एजेन्सी,उपार्जन समितियों एवं गोदाम संचालकों के मध्य निष्पादित होने वाले द्विपक्षीय एवं त्रिपक्षीय अनुबंध प्रारूप के प्रस्तावित संशोधित प्रावधानों पर राज्य उपार्जन समिति के विचार-विमर्श ,संचालक कृषि,उपार्जन एजेन्सी, आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं एवं प्रबंध संचालक MPWLC से अभिमत प्राप्ति उपरांतअनुबंध प्रारूप में समावेश किये जाने हेतु समुचित निर्देश अथवा अनुबंध का भाग माने जाने हेतु आवश्यक निर्देश प्रबंध संचालक मार्कफेड द्वारा जारी किए जाएगे।उक्त निर्देश सभी पक्षकारों पर अनुबंध निष्पादन के उपरांत भी मान्य किया जाना आवश्यक एवं बंधनकारी होगा , जो कि अनुबंध का भाग माना जाएगा।

57.6 अनुबंध संस्था एवं जिले की उपार्जन एजेंसी के मध्य लिखित में होगा तथा

57.7 गोदाम स्तरीय उपार्जन केन्द्रों पर सोयाबीन उपार्जन हेतु गोदाम संचालक, उपार्जन संस्था के प्रबंधक एवं राज्य उपार्जन एजेन्सी के जिला अधिकारी के मध्य त्रिपक्षीय अनुबंध होगा।

57.8 उपार्जन एजेन्सी , समितियों एवं गोदाम संचालकों के मध्य निष्पादित अनुबंध के प्रावधानों के संबंध में किसी भी प्रकार का विवाद होने पर अनुबंध की शर्तों के अनुरूप निराकरण करने हेतु जिला कलेक्टर आरबीट्रेटर होंगे। आरबीट्रेटर के समक्ष उपार्जन एजेन्सी द्वारा समिति के अंतिम भुगतान होने के 30 दिवस के भीतर वाद दायर किया जा सकेगा जिसका निराकरण 60 दिवस में किया जाएगा। कलेक्टर द्वारा इस कार्य के लिये किसी अन्य अधिकारी को अधिकृत नहीं किया जा सकेगा।

57.9 अनुबंध का निष्पादन उपार्जन कार्य प्रारंभ होने के सात दिवस पूर्व निष्पादित किये जाएगें। यदि किसी कारण वश उपार्जन कार्य प्रारंभ हो जाता है , तो भी अनुबंध प्रारूप राज्य स्तर से जारी होने के पश्चात अनुबंध का निष्पादन उपार्जन केन्द्र की संस्था एवं गोदाम संचालक को निष्पादन करना अनिवार्य एवं बंधनकारी रहेगा। अनुबंध की शर्तें उपार्जन केन्द्र पर कार्य प्रारंभ होने से ही प्रभावी मानीजाएगीं।

58. <u>मंडी टैक्स एवं राज्य शासन/स्थानीय निकाय आदि द्वारा अधिरोपित करों में छूट प्रदान करने हेतु मंडी बोर्ड एवं शासन स्तर से की जाने वाली कार्यवाही :-</u>

भारत शासन की प्राईस सपोर्ट स्कीम AMENDED GUIDELINES PSS PULSES' OILSEEDS UNDER PM – AASHA अक्टूबर 2018 के CHAPTER- II के भाग (B) के बिन्दु (ii) में अपेक्षित

अनुसार PSS OPERATION उपार्जन , परिवहन , भंडारण एवं उपार्जित स्कंध के विक्रय आदि पर किसी भी प्रकार के अधिरोपित किये जाने वाले करो का भुगतान कृषक हित में उपार्जन लागत को कम करने को दृष्टिगत रखते हुए राष्ट्रीय एजेन्सी द्वारा राज्य एजेन्सी को नहीं किया जाएगा।

58.1 यदि राज्य शासन/ स्थानीय निकाय/ संस्थाओं आदि द्वारा उपार्जित जिन्स पर अधिरोपित करो में छूट प्रदान नहीं की जाती है , तो ऐसी दशा में उक्त करो की देय राशि की प्रतिपूर्ति राज्य शासन द्वारा राज्य उपार्जन एजेन्सी को की जाएगी।

58.2 मंडी टैक्स में छूट प्रदान करने हेतु उपार्जन कार्य प्रारंभ होने के पूर्व मंडी टैक्स की छूट का प्रस्ताव मंडी बोर्ड द्वारा राज्य शासन को प्रेषित किया जाएगा । शासन द्वारा छूट प्रदान उपरांत अग्रेत्तर कार्यवाही किये जाने का दायित्व आयुक्त मंडी बोर्ड का रहेगा , इस हेतु आयुक्त मंडी बोर्ड द्वारा समुचित कार्यवाही नियत समय पर की जाएगी। निराश्रित शुल्क में छूट प्रदान न होने की दशा में उक्त की प्रतिपूर्ति राज्य शासन द्वारा की जाएगी।

58.3 भारत शासन के नियत लक्ष्य से अधिक मात्रा का उपार्जन होने की दशा में, अतिरिक्त मात्रा राज्य शासन के ओर से राज्य उपार्जन एजेन्सी MARKFED के खाते में जमा होने पर अतिरिक्त मात्रा का उपयोग राज्य शासन के व्यय पर शासन की PDS एवं अन्य WELFARE स्कीम में किया जा सकेगा , एवं इसके विक्रय पर हानि होने की दशा में हानि की प्रतिपूर्ति राज्य शासन द्वारा राज्य उपार्जन एजेन्सी को की जाएगी ।

58.4 राज्य शासन की ओर से राज्य उपार्जन एजेन्सी के खाते में भंडारित स्कंध का निस्तारण शासन द्वारा नियत प्रक्रिया एवं निर्देशों के अनुरूप उपार्जन कार्य समाप्त होने के बाद नौ माह में किया जाएगा, ताकि लागत मूल्य में वृद्धि एवं गुणवत्ता ह्रास को न्यूनतम किया जा सकेगा , यदि किसी कारण वश उक्त नियत अवधि में स्कंध का निस्तारण संभव न हो सके, तो ऐसी दशा में निस्तारण की वास्तविक अवधि पर होने वाले लागत मूल्य में वृद्धि आदि के समस्त व्ययों की प्रतिपूर्ति राज्य शासन द्वारा राज्य एजेन्सी को की जाएगी।

58.5 प्रासंगिक व्यय की दरों को मंडी बोर्ड द्वारा संसूचित किया जाएगा । यदि मंडी बोर्ड द्वारा रबी विपणन वर्ष 2024-25 की प्रासंगिक व्यय की दरे संसूचित नही की जाती है तो विगत रबी विपणन वर्ष 2023-24 की दरे मान्य की जावेगी ।

59. वित्तीय संव्यवहार हेतु JIT / सॉफ्टवेयर प्रोटोकॉल :-

59.1 सेन्ट्रल एजेंसी द्वारा राज्य उपार्जन एजेंसी को भारत सरकार की प्रावधानिक लागत अनुसार स्कंध के सेन्ट्रल एजेन्सी के खाते में जमा होने एवं जमा स्कंध की जारी CLEAR &FAQ WHR जमा करने पर राष्ट्रीय एजेन्सी द्वारा राज्य एजेन्सी को भुगतान 03 दिवस में सुनिश्चित करेगी। यदि किसी कारण वश सेन्ट्रल एजेंसी यह राशि निर्धारित समय में नहीं दे पाती है, तब उसके द्वारा पूंजी व्यवस्था होते ही प्रतिपूर्ति की जाएगी जिसपर भारित होने वाले ब्याज की प्रतिपूर्ति राष्ट्रीय एजेन्सी द्वारा भारत शासन की गाईडलाईन अनुरूप एवं वितरण स्तर पर मिलने वाला ब्याज उपार्जन एजेन्सी के साथ अनुपातिक रूप से भुगतान किया जाएगा । राष्ट्रीय एजेन्सी से अपूरित ब्याज व्यय भार की प्रतिपूर्ति उपार्जन एजेंसियों को राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा ।

59.2 केन्द्र प्रभारी के डिजिटल AUTHENTICATION उपरांत किसानों के बैंक खाते में राशि हस्तांतरण तथा SMS से सूचना की जाएगी। भुगतान विफल होने पर भी किसान को SMS से सूचना की जाएगी। किसानों के भुगतान बार-बार असफल होने पर अथवा विशेष परिस्थिति में राज्य उपार्जन एजेन्सी के प्रस्ताव पर संचालक कृषि द्वारा अनुमोदन प्रदान किये जाने के उपरांत ऑफलाईन भुगतान किया जाएगा।

59.3 संस्थाओं को प्रासंगिक व्यय, कमीशन, भंडारण, हैण्डलिंग, ब्याज एवं उससे संबंधित सेवाप्रदाताओं (वेण्डर) को भुगतान करने की व्यवस्था।

59.4 जिला एवं राज्य स्तर पर उपार्जन एवं सेन्ट्रल एजेन्सी द्वारा किए जाने वाले परिवहन प्रशासनिक ब्याज आदि का व्यय।

59.5 राज्य स्तर पर उपार्जन एवं सेन्ट्रल एजेन्सी के मध्य संव्यवहार।

60. EXIT PROTOCOL:- यदि किसी उपार्जन केन्द्र पर शतप्रतिशत SMS कृषकों को जारी होने के उपरांत केन्द्र पर अधिकांश कृषकों के द्वारा फसल का विक्रय पूर्ण कर लिया गया हो तो संचालक कृषि द्वारा " EXIT PROTOCOL " के अनुरूप उपार्जन कार्य दो सप्ताह बाद स्थगित किया जा सकेगा।

61. राज्य एजेन्सियों को पूंजी की व्यवस्था हेतु प्रक्रिया एवं भुगतान व्यवस्था :-

61.1 राज्य उपार्जन एजेन्सी मार्कफेड को बैंक से ऋण लेने हेतु साख सीमा राज्य शासन द्वारा वित्त विभाग के परामर्श से विपणन संघ से प्रस्ताव अनुरूप न्यूनतम एक वर्ष की अवधि हेतु निशुल्क शासकीय प्रत्याभूति उपार्जन प्रारंभ होने के पूर्व दी जाएगी। जिससे संबंधित उपार्जन एजेन्सी राशि की कमी होने की स्थिति में पूंजी की व्यवस्था बैंकों से उपलब्ध कम ब्याज की SHORT TERM ऋण प्राप्त कर सकेगी।

61.2 भारत सरकार के लक्ष्य सीमा से अधिक उपार्जन की स्थिति में निशुल्क शासकीय प्रत्याभूति में अतिरिक्त एक वर्ष की वृद्धि की जावेगी अथवा राज्य शासन खाते के उपार्जित स्कंध के निराकरण की अवधि तक वृद्धि कीजावेगी। जिसमें जो भी अवधि अधिकतम होगी, मान्य की जावेगी।

61.3 राज्य उपार्जन एजेन्सी बैंकों से न्यूनतम ब्याज दरों पर ऋण प्राप्त करने हेतु पारदर्शी प्रक्रिया अपनाते हुए ऋण लेने हेतु बैंकों से NEGOTIATE करेगी। बैंकों से ऋण प्राप्त करने में राज्य एजेन्सी कों यदि कोई कठिनाई आती है, तो आयुक्त, संस्थागत वित्त के माध्यम से बैंकों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित कर आवश्यकतानुसार राशि की व्यवस्था की जाए।

61.4 सभी एजेन्सियों द्वारा शासकीय प्रत्याभूति पर ऋण लेने हेतु पारदर्शी व्यवस्था इस प्रकार निर्मित की जावे कि बैंक की परिवर्तनशील ब्याज दरों का लाभ मिल सकें। इस हेतु निविदा आमंत्रण एवं बैंक के साथ निष्पादित किये जानेवाले करार की शर्तो में परिवर्तनशील ब्याज दरों की शर्त का समावेश आवश्यक रूप से इस आशय के साथ किया जाए, कि भविष्य में ब्याज दरों में कमी होने पर कम ब्याज दर से लागू होगी एवं ब्याज दर में वृद्धि होने की दशा में पूर्व में नियत ब्याज दर ही प्रभावशील रहेगी।

61.5 राज्य उपार्जन एजेन्सी उपार्जन से संबंधित समस्त वित्तीय संव्यवहार (CREDIT & EXPENDITURE) JIT के माध्यम से संचालित होंगे। उपार्जन एजेन्सी इस हेतु स्वयं का पृथक बैंक खाता संचालित करेगी। संचालित खाते में साख सीमा का प्रबंधन उपार्जन एजेन्सी इस प्रकार करेगी कि ब्याज का भार न्यूनतम हो सके।

61.6 भारत शासन को दावे प्रस्तुती एवं उनसे भुगतान प्राप्ति हेतु राज्य नोडल एजेन्सी MARKFED होगी।

62. उपार्जन व्ययों की प्रतिपूर्ति :-

62.1 भारत सरकार द्वारा उपार्जन/ भंडारण एजेन्सियों द्वारा व्यय राशि की तुलना में कम राशि प्रतिपूर्ति किये जाने अथवा विशेष/ अप्रत्याशित परिस्थितियों में सोयाबीन आदि तिलहन फसलों के उपार्जन/ भंडारण में MARKFED/MPWLC को राशि अपूरित होने पर राज्य शासन द्वारा वास्तविक आधार पर अपूरित राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

62.2 भारत सरकार के लक्ष्य से अधिक उपार्जित मात्रा पर होने वाले सभी व्ययों की प्रतिपूर्ति राज्य उपार्जन एजेन्सी एवं भंडारण एजेन्सी को राज्य शासन द्वारा वास्तविक आधार पर प्रतिपूर्ति की जाएगी।

62.3 भारत सरकार के लक्ष्य से अधिक उपार्जित मात्रा का निस्तारंण उपार्जन एजेन्सी द्वारा शासन निर्णयानुसार किया जाएगा। निस्तारण पर होने वाली हानि की प्रतिपूर्ति राज्य शासन द्वारा की जाएगी।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

(एम.सेलवेन्द्रन)
सचिव
म.प्र. शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

क्रमांक AbRI/19/0115/2024/14-2/335396/1380 भोपाल, दिनांक 25/9/2024

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री म.प्र. शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास की ओर सूचनार्थ।
2. निज सचिव, माननीय मंत्री, म.प्र.खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की ओर सूचनार्थ।
3. विशेष सहायक, मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, भोपाल।
4. सचिव, भारत सरकार, कृषि किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि सहकारिता तथा किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन नई दिल्ली की ओर सूचनार्थ।
5. अपर मुख्य सचिव सह कृषि उत्पादन आयुक्त मंत्रालय भोपाल।
6. अपर मुख्य सचिव म.प्र. शासन (वित्त) मंत्रालय भोपाल।
7. समस्त अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
8. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल।
9. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन सहकारिता विभाग, भोपाल को मार्गदर्शी निर्देश जारी किए जाने हेतु प्रेषित।
10. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक निर्देश जारी किए जाने तथा ई-उपार्जन पोर्टल पर आवश्यक व्यवस्था हेतु प्रेषित।
11. प्रमुख सचिव, म.प्र. उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, भोपाल।
12. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, जनसंपर्क विभाग, भोपाल को योजना के प्रचार-प्रसार हेतु प्रेषित।
13. प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, भोपाल।

14. प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीयक, कृषि सहकारी विपणन संघ, नेफेड, नई दिल्ली।
15. सचिव , मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल।
16. आयुक्त सह पंजीयक, सहकारी संस्थायें म.प्र. भोपाल।
17. आयुक्त, भू-अभिलेख, ग्वालियर, म.प्र.।
18. आयुक्त संस्थागत वित्त म.प्र. भोपाल।
19. संचालक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, भोपाल को उपयोक्त अनुक्रम में आवश्यक निर्देश जारी किए जाने तथा कार्यवाही हेतु प्रेषित।
20. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, भोपाल।
21. समस्त संभागायुक्त म.प्र.
22. संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, संचालनालय, भोपाल ।
23. प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।
24. प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य सहकारी विपणन संघ, भोपाल ।
25. प्रबंध संचालक, म.प्र. स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन लि0, भोपाल।
26. प्रबंध संचालक, म.प्र. वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन, भोपाल।
27. प्रबंध संचालक, म.प्र. वेयर हाउसिंग बैंक (अपेक्स बैंक), भोपाल ।
28. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, म.प्र. ।
29. एस.आई.ओ. (राष्ट्रीय सूचना केन्द्र- एन.आई.सी.) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित तथा उक्तानुसार , पोर्टल व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु प्रेषित।
30. समस्त संयुक्त संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास संभाग कार्यालय ।
31. स्टेट हेड, नेफेड, भोपाल, म.प्र. ।
32. शाखा प्रबंधक, एन.सी.सी.एफ. भोपाल, म.प्र. ।
33. समस्त उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला कार्यालय ।
34. समस्त परियोजना संचालक, आत्मा, किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला कार्यालय की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
35. समस्त जिला आपूर्ति नियंत्रक/ जिला आपूर्ति अधिकारी, म.प्र.।

सचिव
म.प्र. शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

(परिशिष्ट - 1)

राज्य स्तरीय उपार्जन समिति

1	संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास	अध्यक्ष
2	आयुक्त एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं म.प्र. के प्रतिनिधि	सदस्य
3	आयुक्त, संस्थागत वित्त म.प्र. प्रतिनिधि	सदस्य
4	आयुक्त, भू-अभिलेख के प्रतिनिधि	सदस्य
5	प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य सहकारी विपणन संघ	सदस्य
6	प्रबंध संचालक, म.प्र. वेयरहाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कॉर्पोरेशन	सदस्य
7	प्रबंध संचालक, म.प्र. स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन	सदस्य
8	प्रबंध संचालक, एवं आयुक्त, म.प्र. राज्य कृषि विपणन (मंडी) बोर्ड	सदस्य
9	प्रबंध संचालक, अपैक्स बैंक	सदस्य
10	राज्य सूचना अधिकारी NIC	सदस्य

खरीफ सीजन तिलहन उपार्जन हेतु संभाग स्तरीय उपार्जन समिति

1	संभाग आयुक्त	अध्यक्ष
2	उपायुक्त भू-अभिलेख	सदस्य
3	संयुक्त आयुक्त सहकारिता	सदस्य
4	संयुक्त संचालक कृषि	सदस्य
5	क्षेत्रीय प्रबंधक MPSCSC	सदस्य
6	उप संचालक, मंडी बोर्ड	सदस्य
7	क्षेत्रीय प्रबंधक MPWLC	सदस्य
8	जिला आपूर्ति नियंत्रक	सदस्य
9	जोनल मैनेजर, MARKFED	सदस्य संयोजक

जिला स्तरीय उपार्जन समिति

1	कलेक्टर	अध्यक्ष
2	जिला लीड बैंक अधिकारी	सदस्य
3	उप संचालक कृषि	सदस्य
4	उपआयुक्त/ सहायक आयुक्त, सहकारी संस्थाएं	सदस्य
5	जिला सूचना अधिकारी, NIC	सदस्य
6	महाप्रबंधक जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक	सदस्य
7	जिला विपणन अधिकारी MARKFED	सदस्य
8	MPWLC की जिला मुख्यालय की शाखा के प्रबंधक	सदस्य
9	जिला प्रबंधक MPSCSC	सदस्य
10	अधीक्षक भू- अभिलेख	सदस्य
11	सचिव कृषि उपज मंडी (जिला मुख्यालय की मंडी के)	सदस्य
i2	जिला आपूर्ति नियंत्रक / जिला आपूर्ति अधिकारी	सदस्य सचिव

उप-खण्ड स्तरीय उपार्जन समिति

1	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व	अध्यक्ष
2	अनुविभागीय अधिकारी कृषि	सदस्य
3	सहकारिता विस्तार अधिकारी	सदस्य
4	शाखा प्रबंधक जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक	सदस्य
5	गोदाम प्रभारी MP MARKFED	सदस्य
6	गोदाम प्रभारी MPWLC	सदस्य
7	सचिव कृषि उपज मंडी	सदस्य
8	सहायक/ कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी	सदस्य सचिव